अध्याय II: राज्य का वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण स्थिरता और राज्य के वित्त लेखों और प्रमुख लोक लेखों के संव्यवहारों का राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण करता है।

2.1 वर्ष 2019-20 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव

तालिका 2.1 वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है और ***परिशिष्ट 2.1*** प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश प्रदान करता है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण अगले अनुच्छेदों में किया जाएगा।

तालिका 2.1: वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2019-20	2020-21		2019-20	2020-21
अनुभाग-अ : राजस्व खाता					
कर राजस्व	59,244.98	60,283.44	सामान्य सेवायें	56,186.29	60,143.84
कर-भिन्न राजस्व	15,714.16	13,653.02	सामाजिक सेवायें	68,313.23	74,009.59
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	36,049.14	35,575.77	आर्थिक सेवायें	51,985.51	44,155.91
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,105.53	24,795.65	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.07	0.07
योग अनुभाग अ-राजस्व प्राप्तियां	**1,40,113.81**	**1,34,307.88**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**1,76,485.10**	**1,78,309.41**
अनुभाग-ब: पूंजीगत लेखा और अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.42	14.08	पूँजीगत परिव्यय	**14,718.05**	**15,270.49**
			सामान्य सेवायें	463.42	398.17
			सामाजिक सेवायें	5,489.68	7,641.58
			आर्थिक सेवायें	8,764.95	7,230.74
ऋण और अग्रिमों की वसूलियां	15,669.75	373.52	संवितरित ऋण और अग्रिम	2,255.19	491.01
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	46,173.72	89,964.01	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	20,032.69	41,022.99
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	1,93,165.05	2,08,446.75	लोक लेखा संवितरण#	1,79,741.07	1,99,229.24
प्रारंभिक रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	अंतिम रोकड़ शेष	7,704.41	6,487.51
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**2,60,822.69**	**3,06,538.69**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**2,24,451.40**	**2,62,501.24**
सर्व योग (अ + ब)	**4,00,936.50**	**4,40,810.65**	**सर्व योग (अ + ब)**	**4,00,936.50**	**4,40,810.65**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहारों सहित। प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियां ₹85,360.01 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

लोक लेखा प्राप्तियों /संवितरणों की राशि सकल आधार पर दिखाई गई है।

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में मुख्य वित्तीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	➢ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 4.14 प्रतिशत कम हुई। ➢ राज्य की स्व-कर प्राप्तियाँ 1.75 प्रतिशत बढ़ी। ➢ स्व-कर इतर प्राप्तियाँ 13.12 प्रतिशत कम हुई। ➢ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 1.31 प्रतिशत कम हुआ। ➢ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 14.81 प्रतिशत कम हुआ।
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय 1.03 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 7.04 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 8.34 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.06 प्रतिशत कम हुआ।
पूंजीगत व्यय	➢ पूंजीगत व्यय 3.75 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 14.08 प्रतिशत कम हुआ। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 39.20 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 17.50 प्रतिशत कम हुआ।
ऋण और अग्रिम	➢ ऋण और अग्रिमों का संवितरण 78.23 प्रतिशत कम हुआ । ➢ ऋण और अग्रिमों की वसूलियां 97.62 प्रतिशत कम हुई ।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियाँ 94.84* प्रतिशत बढ़ी । ➢ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 104.78 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियाँ 7.91 प्रतिशत बढ़ी। ➢ लोक लेखा संवितरण 10.84 प्रतिशत बढ़ा।
रोकड़ शेष	➢ वर्ष 2020-21 के दौरान गत वर्ष की तुलना में रोकड़ शेष ₹ 1,216.90 करोड़ (15.79 प्रतिशत) कम हुआ।

* *भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ को हटाने के बाद लोक ऋण प्राप्तियों में प्रभावी वृद्धि 84.87 प्रतिशत होगी*

2.2 निधियों के स्रोत एवं प्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2019-20 के साथ वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों का और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

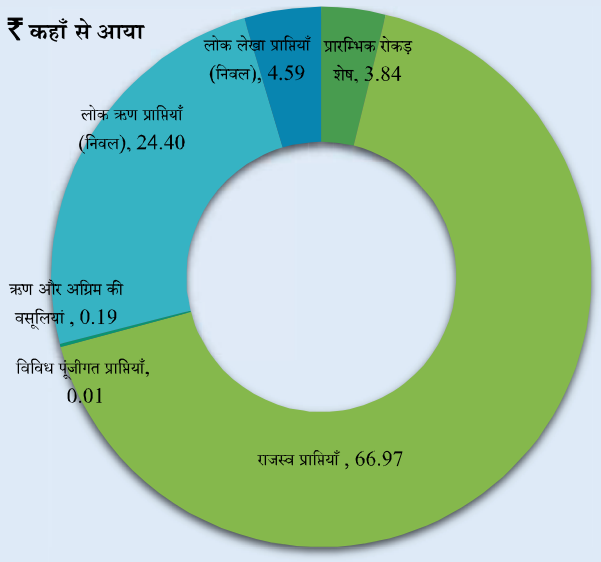
	विवरण	2019-20	2020-21	बढ़त/कमी
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	1,910.66
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,40,113.81	1,34,307.88	(-) 5,805.93
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.42	14.08	(-) 6.34
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	15,669.75	373.52	(-) 15,296.23
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	26,141.04	48,941.02*	22,799.98
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	13,423.98	9,217.51	(-) 4,206.47
	योग	**2,01,162.75**	**2,00,558.42**	**(-) 604.33**

	विवरण	2019-20	2020-21	बढ़त/कमी
उपयोग	राजस्व व्यय	1,76,485.10	1,78,309.41	1,824.31
	पूंजीगत व्यय	14,718.05	15,270.49	552.44
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	2,255.19	491.01	(-) 1,764.18
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	7,704.41	6,487.51	(-) 1,216.90
	योग	**2,01,162.75**	**2,00,558.42**	**(-) 604.33**

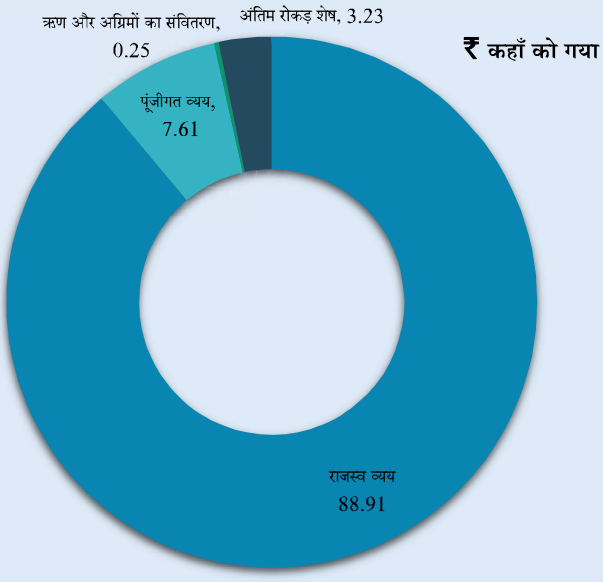
स्रोतः वित्त लेखे

**प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियां (निवल) ₹44,337.02 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। तदनुसार, वृद्धि ₹18,195.98 करोड़ होगी।*

चार्ट 2.1: संसाधनों का संयोजन
(प्रतिशत में)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग
(प्रतिशत में)



2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश और भारत सरकार (भा.स.) से सहायतार्थ-अनुदान शामिल हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

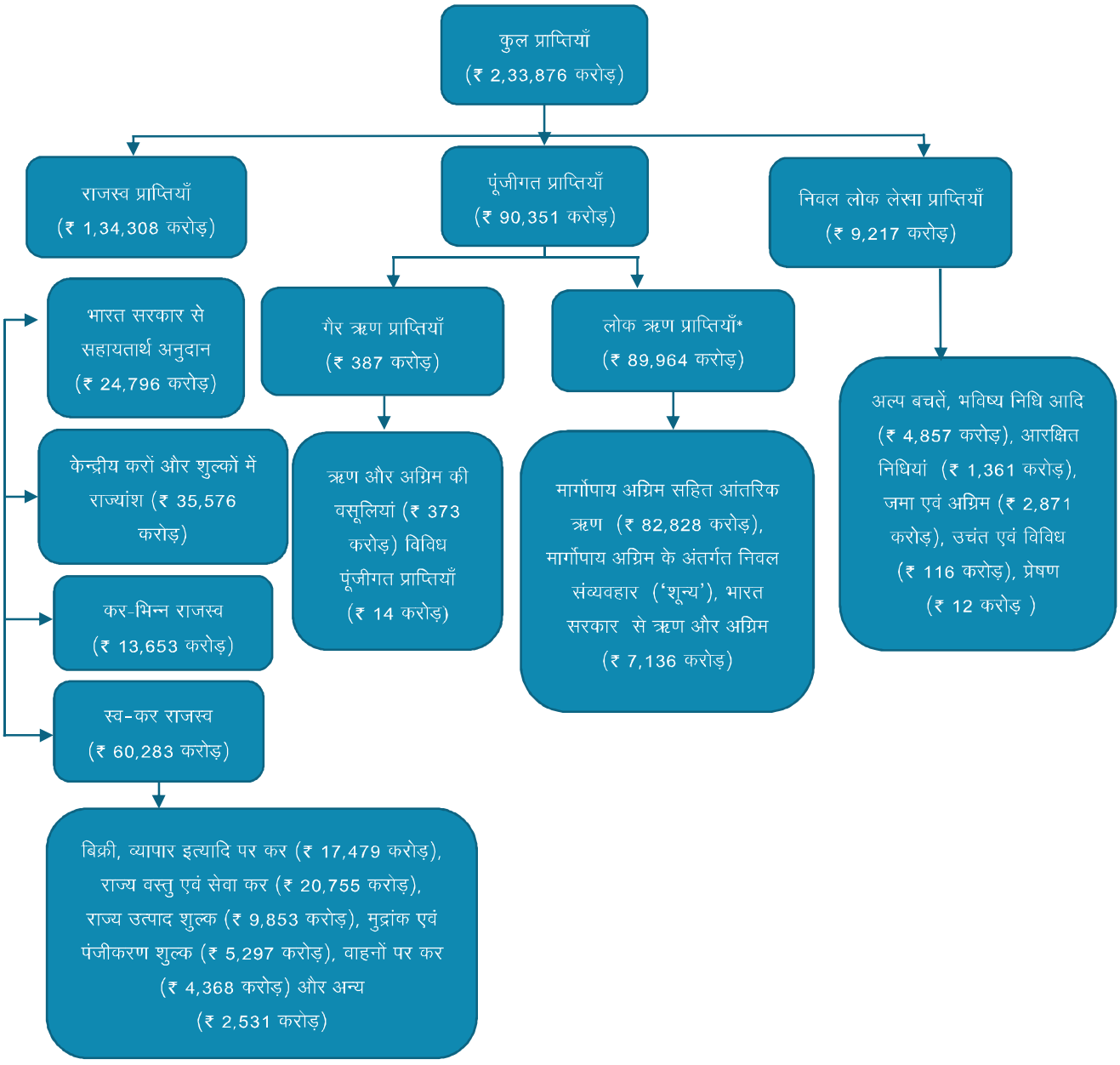
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: ये कुछ संव्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं।

इन्हें संविधान की धारा 266 (2) केअंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के उपयोग के लिये उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियों के दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक



**प्रभावी लोक ऋण प्राप्तियां ₹85,360 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृतियां दर्शाता है। आगे यह प्राप्तियों की प्रवृति को भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां और वृद्धि

तालिका 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियां और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2016-21 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृतियां और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः **चार्ट 2.4** और **2.5** के साथ-साथ ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)**	**1,09,026**	**1,27,307**	**1,37,873**	**1,40,114**	**1,34,308**
2.	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.72	16.77	8.30	1.63	(-) 4.14
3.	स्व-कर राजस्व	44,372	50,605	57,380	59,245	60,283
4.	कर-भिन्न राजस्व	11,615	15,734	18,603	15,714	13,653
5.	**स्व-राजस्व प्राप्तियाँ**	**55,987**	**66,339**	**75,983**	**74,959**	**73,936**
6.	स्व-प्राप्तियों की वृद्धि दर (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	4.37	18.49	14.54	(-)1.35	(-) 1.36
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	7,60,587	8,28,661	9,21,789$^{\Sigma}$	9,98,999$^{£}$	9,57,912$^{\#}$
8.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.61	8.95	11.24	8.38	(-) 4.11
9.	राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.33	15.36	14.96	14.03	14.02
10.	**उत्प्लावकता अनुपात[1]**					
11.	राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.75	1.87	0.74	0.19	-*
12.	राज्य की स्व-राजस्व प्राप्ति उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.38	2.07	1.29	(-) 0.16	-*

जीएसडीपी आंकड़ों के स्रोतः आर्थिक समीक्षा (2020-21), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

* वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी एवं राजस्व प्राप्तियों (स्व-राजस्व प्राप्तियों सहित) की वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।

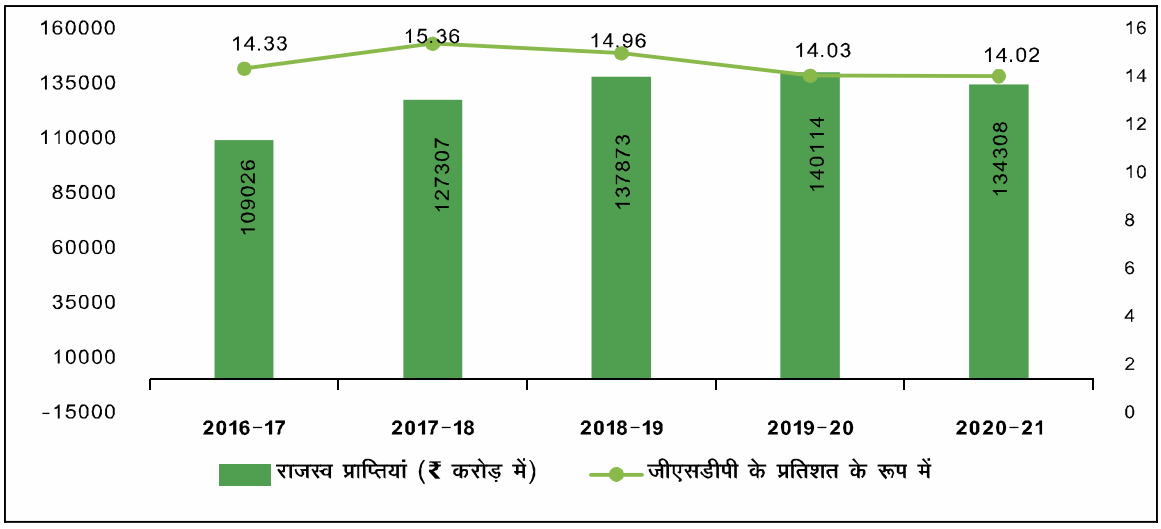
$^{\Sigma}$ संशोधित अनुमान- II

$^{£}$ संशोधित अनुमान-I

$^{\#}$ अग्रिम अनुमान

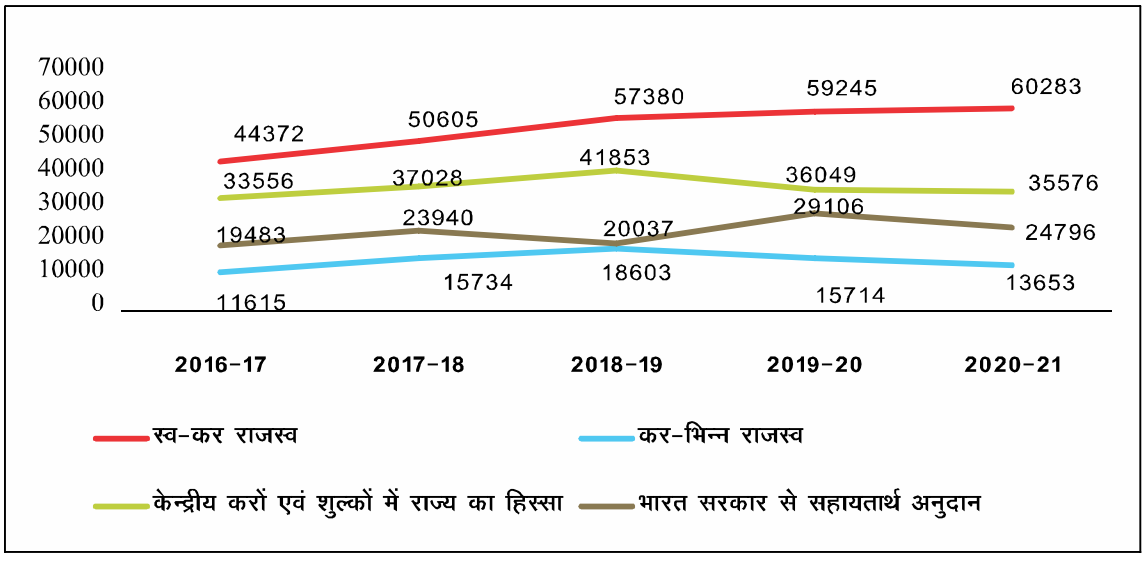
1. उत्प्लावकता अनुपात, आधार अनुपात में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोचशीलता या प्रतिक्रिया के स्तर के अनुपात को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति



चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)



राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृतियाँ निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियां 5.35 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वर्ष 2016-17 में ₹1,09,026 करोड़ से 23.19 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,34,308 करोड़ हो गई। वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹5,806 करोड़ (4.14 प्रतिशत) की कमी हुई। जबकि राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 1.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.12 प्रतिशत, 1.31 प्रतिशत एवं 14.81 प्रतिशत की कमी हुई।
- जुलाई 2020 (₹14,848 करोड़) और मार्च 2021 (₹ 24,624 करोड़) की संयुक्त राजस्व प्राप्तियाँ सम्पूर्ण वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 29.4 प्रतिशत थी।

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55.05 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया था, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का 44.95 प्रतिशत योगदान था, जो कि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का राजस्थान की राजकोषीय स्थिति पर बड़े प्रभाव का सूचक है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय में 1.03 प्रतिशत (₹1,824 करोड़) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में 4.14 प्रतिशत (₹5,806 करोड़) की कमी हुई जिससे गत वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।
- जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2019-20 में 14.03 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2020-21 में 14.02 प्रतिशत रह गया।

2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन

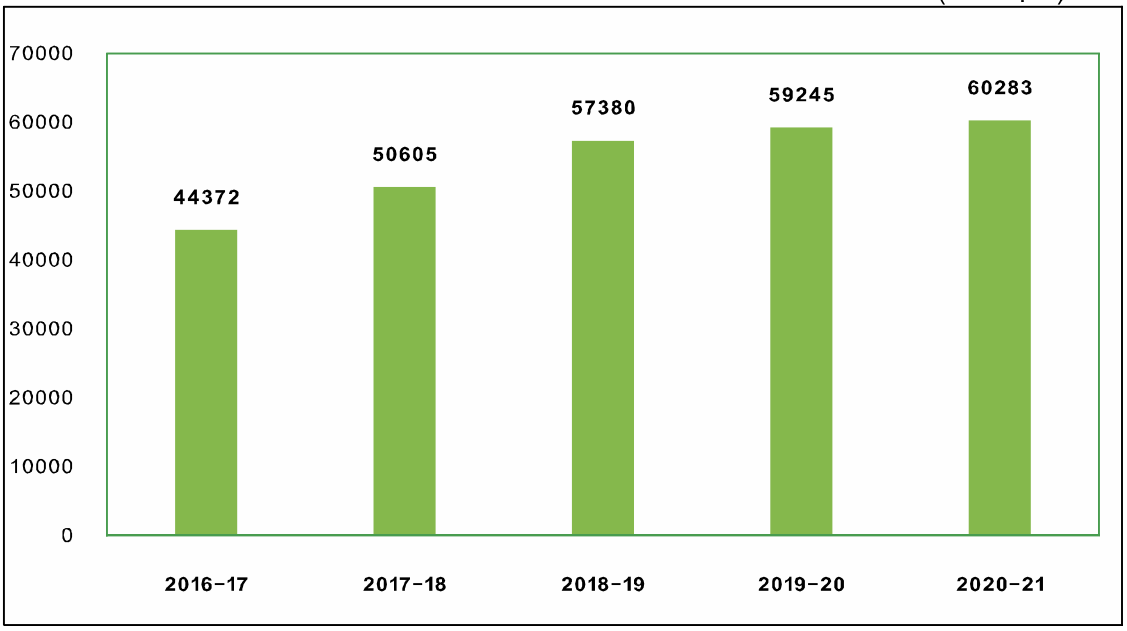
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता से निर्धारित होती है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन अपने स्व-संसाधनों जिसमें स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व सम्मिलित हो, के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर इत्यादि कर शामिल हैं।

चार्ट 2.6: वर्ष 2016-21 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)



2016-21 के दौरान संग्रहित किए गए स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाईन
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	28,558	19,008	14,791	15,843	17,479	
2.	माल एवं यात्री कर	803	341	51	41	45	
3.	मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	220	64	5	01	01	
4.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	12,137	22,938	21,954	20,755*	
	योग	**29,581**	**31,550**	**37,785**	**37,839**	**38,280**	
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	7,054	7,276	8,694	9,592	9,853	
6.	वाहनों पर कर	3,623	4,363	4,576	4,951	4,368	
7.	मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	3,053	3,675	3,886	4,235	5,297	
8.	भू-राजस्व	315	364	290	364	280	
9.	अन्य कर[2]	746	3,377	2,149	2,264	2,205	
	महा योग	**44,372**	**50,605**	**57,380**	**59,245**	**60,283**	

* अनअंकेक्षित आंकड़े

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य का स्व-कर राजस्व 7.96 प्रतिशत सीएजीआर से वर्ष 2016-17 में ₹ 44,372 करोड़ से ₹15,911 करोड़ बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 60,283 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य में कर राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 1.75 प्रतिशत थी एवं पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के औसत (-4.43 प्रतिशत) ***(परिशिष्ट 1.1)*** से अधिक थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, कर राजस्व के मुख्य अंश राज्य वस्तु एवं सेवा कर (34.43 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (28.99 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (16.34 प्रतिशत) रहे। वर्ष 2020-21 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.33 प्रतिशत और 25.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2. अन्य करों में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹738 करोड़, ₹3,376 करोड़, ₹ 2,148 करोड़, ₹ 2,263 एवं ₹ 2,142 करोड़ की प्राप्तियां शामिल हैं।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। जीएसटी वस्तु या सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति (शराब तथा पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) पर लगाया जाता है और इसके घटकों को केंद्र (सीजीएसटी) तथा राज्य (एसजीएसटी) द्वारा साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया एवं एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित किये गए आईजीएसटी को केंद्र और सम्बंधित राज्य, जहाँ वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग किया गया हो, के मध्य विभाजित किया जाता है।

भारत सरकार ने राज्यों को जीएसटी लागू होने के कारण होने वाली राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति आधार वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिये 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए करने के लिये जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 लागू किया। तदनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹ 17,158.62 करोड़ पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की आंकलित वृद्धि दर लागू करते हुए राजस्थान के लिए वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 33,037.46 करोड़ था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 33,037.46 करोड़ के अनुमानित राजस्व की तुलना में राज्य का जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह वर्ष 2020-21 में ₹ 20,754.87 करोड़ (आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ 1,628.07 करोड़ को शामिल करते हुए) था जबकि 2019-20 में यह ₹ 21,954.17 करोड़ था। इसलिए, एसजीएसटी संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,199.30 करोड़ (5.46 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी के तहत राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 31,357.49 करोड़ रही जिसमें एसजीएसटी संग्रह तथा राज्यों[3] को नियत किये गए सीजीएसटी का निवल आगम शामिल था जबकि राज्य को वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को नियत किये गए आईजीएसटी के निवल आगमों का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 7 के अनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व की हानि की केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक जीएसटी राजस्व का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा/प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,957.37 करोड़ (गत वर्ष से संबंधित ₹ 2,675.47 करोड़ को छोड़कर) की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

जीएसटी राजस्व से कमी को पूरा करने के लिये, भारत सरकार ने "जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण" योजना लागू की है। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान को ₹ 4,604 करोड़ प्राप्त हुए हैं। इस ऋण की अदायगी जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रहण से की जानी है, तथा इसलिए पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के किसी अन्य संसाधन से पूरा नहीं किया जाएगा।

3. ₹ 10,602.62 करोड़

जीएसटी डाटाबेस की एक्सेस दिसम्बर 2020 में उपलब्ध करायी गयी तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान ने वर्ष 2017-18 के क्षतिपूर्ति आंकड़ों को 2020-21 के दौरान तथा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के क्षतिपूर्ति आंकड़ों को 2021-22 के दौरान प्रमाणित किया। वर्ष 2020-21 के क्षतिपूर्ति आंकड़े प्रमाणीकरण हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार से प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2021)।

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार द्वारा राजस्व की विलंबित वसूली को इंगित करता है।

31 मार्च 2021 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 20,577.89 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 4,125.75 करोड़ पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2021 को कुल बकाया राशि और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2021 को पांच वर्ष से अधिक बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर	21,874.45	18,225.98	(-) 16.68	3,358.61
2.	परिवहन	64.14	59.39	(-) 7.41	35.28
3.	भू-राजस्व	200.65	186.16	(-) 7.22	89.82
4.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	2.79	2.73	(-) 2.15	1.54
5.	पंजीकरण और मुद्रांक	1,339.42	1,318.38	(-) 1.57	135.62
6.	भू - कर	238.08	300.66	(+) 26.29	232.93
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	201.58	208.07	(+) 3.22	194.45
8.	खान, भू-विज्ञान और पेट्रोलियम	321.45	276.52	(-) 13.98	77.50
योग		**24,242.56**	**20,577.89**	**(-) 15.12**	**4,125.75**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

जिन स्तरों पर बकाया संग्रह के लिए लम्बित थे, से सम्बन्धित सूचना मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गई (दिसम्बर 2021)।

बकाया निर्धारण

बकाया निर्धारण संभावित राजस्व को दर्शाते है जो विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। यह सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करता है तथा अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करता है। वाणिज्यिक कर, पंजीकरण एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम और परिवहन विभागों द्वारा वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराये गये लंबित मामलों, मूल्यांकन योग्य बने मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	वाणिज्यिक कर	18	4,626	4,644	4,643	1	99.98
2.	पंजीकरण एवं मुद्रांक*	7,383	10,464	17,847	8,826	9,021	49.45
3.	खान, भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम	8,799	10,609	19,408	9,107	10,301	46.92
4.	परिवहन	1,537	19,963	21,500	20,264	1,236	94.25

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

*भू- कर सहित

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग और परिवहन विभाग ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, पंजीकरण और मुद्रांक, खान एवं भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम और परिवहन विभागों में मामलों का निपटान बहुत कम था। ये विभाग मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

विभागों द्वारा पता लगाये गए कर चोरी के मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के मुख्य संकेतक है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,वर्ष 2020-21 के दौरान कर चोरी के 3059 मामले[4] पाये गए । 2870 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हुई और 855 मामले 31 मार्च 2021 को अन्तिमिकरण के लिए बकाया थे। पंजीकरण और मुद्रांक विभाग में वर्ष 2020-21 के दौरान कर चोरी के 432 मामले पाये गए जिनमें से सभी का मूल्यांकन/जाँच विभाग द्वारा की गई । इनमें से 31 मार्च 2021 तक 75 मामलों में वसूली की गई थी जबकि 357 मामले अन्तिम रूप देने के लिये बकाया थे।

भू-राजस्व, राज्य आबकारी और परिवहन विभागों ने अवगत कराया कि कर चोरी का कोई भी मामला नहीं पाया गया। इससे ज्ञात होता है कि इन विभागों के पास आगतों के रिसाव पर रोक लगाने के लिए उचित तंत्र का अभाव था, जिससे वे बिना आज्ञा वाहनों का परिचालन, अवैध खनन, आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण नहीं होना और शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का अवैध परिवहन आदि के सम्बन्ध में मिली सूचनाओं पर कार्यवाही कर सकते थे जैसा कि इन विभागों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ। बकाया मामलों का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

4. राज्य के 13 ज़ोनों के 17 करापवंचन वृत्तों से सम्बंधित सूचनाओं को शामिल करने से गत वर्ष (285 मामले) की तुलना में ऐसे मामलों की संख्या में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका 2.7: कर चोरी की खोज

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया मामले	वर्ष 2020-21 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जाँच पूर्ण कर ली गई और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2021 को अन्तिमीकरण के लिये बकाया मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	666	3059	3725	2870	21,473.37	855
2.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	शून्य	15	15	15	0.18	शून्य
3.	पंजीकरण एवं मुद्रांक	शून्य	432	432	432	8.36	357

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

रिफंड के लंबित मामले

रिफंड के मामलों के निस्तारण में तत्परता भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में लंबित रिफंड के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित बताये गए मामलों को **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: रिफंड के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		परिवहन		पंजीकरण एवं मुद्रांक	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	1,290	130.52	554	2.57	987	9.94
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,600	1,006.15	629	3.29	1,698	8.90
3	वर्ष के दौरान रिफंड	3,513	184.99	413	3.10	1,436	7.59
4	वर्ष के दौरान निरस्त	1,614	839.56	28	0.19	23	0.30
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	763	112.12	742	2.57	1,226	10.95

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि परिवहन विभाग में लंबित रिफंड मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग में लंबित राशि के साथ साथ संख्या में भी वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों के द्वारा शून्य जानकारी प्रदान की गई है । लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि वर्ष के दौरान खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा दर्शाये गए 31 मार्च 2020 के 23 मामलों के अंतिम शेष की राशि का भुगतान किया गया था या नहीं।

संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा, बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अदायगी से भी बच सकती है।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 2.9** में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाइन
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,933	4,859	5,791	3,852	2,693	
2.	पेट्रोलियम से राजस्व[5]	2,332	2,579	3,883	3,320	1,905	
3.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,234	4,522	5,302	4,579	4,966	
4.	लाभांश तथा लाभ	68	67	56	55	3	
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,048	3,707	3,571	3,908	4,086	
	योग	**11,615**	**15,734**	**18,603**	**15,714**	**13,653**	

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक था। वर्ष 2020-21 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹ 13,653 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 13.12 प्रतिशत (₹ 2,061 करोड़) की कमी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 1,159 करोड़ (30.09 प्रतिशत) तथा कच्चे तेल पर रायल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹1,415 करोड़ (42.62 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में नकारात्मक (-13.12 प्रतिशत) थी, जबकि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में औसत वृद्धि दर (-) 35.60 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 1.1)*** थी ।

2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की । तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोगों की अवधि को शामिल करते हुए 10 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृति नीचे तालिका में दी गई है।

5. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी से राजस्व।

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

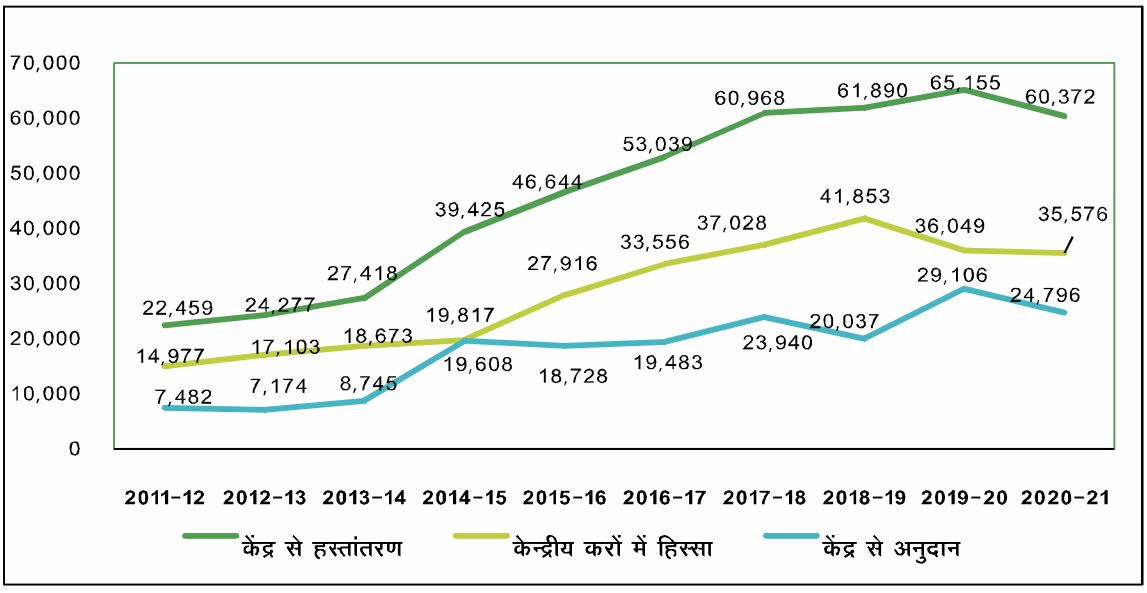
क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय करो में हिस्सा	केंद्र से अनुदान	केंद्र से हस्तांतरण
	1	2	3	4 = (2+3)
1.	2011-12	14,977	7,482	22,459
2.	2012-13	17,103	7,174	24,277
3.	2013-14	18,673	8,745	27,418
4.	2014-15	19,817	19,608	39,425
5.	2015-16	27,916	18,728	46,644
6.	2016-17	33,556	19,483	53,039
7.	2017-18	37,028	23,940	60,968
8.	2018-19	41,853	20,037	61,890
9.	2019-20	36,049	29,106	65,155
10.	2020-21	35,576	24,796	60,372

स्रोतः वित्त लेखे

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2011-12 में ₹ 22,459 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 60,372 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी तथा केंद्र से अनुदान दोनों में गिरावट आई।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)



केंद्रीय कर हस्तांतरण

पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी।

केंद्रीय करों में राज्यांश के घटकों को **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: केन्द्रीय करों में राज्यांश के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सीमा शुल्क	4,620	3,735	2,966	2,285	1,910
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5,275	3,905	1,971	1,589	1,199
3.	सेवा कर	5,433	4,227	389	-	150
4.	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	520	10,329	10,229	10,603
5.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	3,736	824	-	-
6.	निगम कर	10,739	11,334	14,553	12,291	10,711
7.	निगम कर से भिन्न आय पर कर	7,464	9,571	10,718	9,631	10,978
8.	धन कर	25	-[6]	5	1	-
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	-[7]	-[8]	22	23	25
10.	अन्य	-	-	76	-	-
11.	**केन्द्रीय कर हस्तांतरण**	**33,556**	**37,028**	**41,853**	**36,049**	**35,576**
12.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	20.20	10.35	13.03	(-)13.87	(-) 1.31
13.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	30.78	29.09	30.36	25.73	26.49

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 26.49 प्रतिशत था। पांच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण वर्ष 2016-17 के ₹33,556 करोड़ से 6.02 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 35,576 करोड़ हो गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण (₹ 35,576 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 1.31 प्रतिशत (₹ 473 करोड़) की कमी मुख्यतः निगम कर में ₹ 1,580 करोड़ (12.85 प्रतिशत) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 390 करोड़ (24.54 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई, जो निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर में ₹1,347 करोड़ (13.99 प्रतिशत) वृद्धि से कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हुई।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान **तालिका 2.12** में वर्णित है।

6. ₹ (-) 0.34 करोड़।
7. ₹ 0.09 करोड़।
8. ₹ (-) 0.01 करोड़।

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	आयोजना - भिन्न अनुदान*	5,928	-	-	-	-
2.	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान*	13,462	-	-	-	-
3.	केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)*	93	-	-	-	-
4.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें (सी एस एस)	-	16,104	13,317	14,966	12,595
5.	वित्त आयोग अनुदान	-	4,262	3,121	7,332	6,237
6.	राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	-	3,574	3,599	6,808	5,964
	योग	**19,483**	**23,940**	**20,037**	**29,106**	**24,796**
7.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	4.03	22.88	(-) 16.30	45.26	(-) 14.81
8.	राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान की प्रतिशतता	17.87	18.80	14.53	20.77	18.46

स्रोतः वित्त लेखे।

* *वर्ष 2016-17 के बाद से कोई आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजना-भिन्न अनुदान का नामकरण हटा दिया गया, और सीएसएस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।*

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,310 करोड़ (14.81 प्रतिशत) की कमी मुख्यतः ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹ 2,146 करोड़ (42.6 प्रतिशत), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए ₹ 917 करोड़ (70 प्रतिशत), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए ₹ 1,217 करोड़ (61.1 प्रतिशत), एकीकृत शिक्षा के लिए ₹ 686 करोड़ (23.6 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा में मानव संसाधन के लिए ₹ 189 करोड़ (22 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था। राज्य को वर्ष के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 12,595 करोड़) कुल अनुदान का 51 प्रतिशत था। वित्त आयोग के अनुदान में स्थानीय निकायों के लिये अनुदान (₹ 4,756 करोड़) तथा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए अनुदान (₹ 1,481 करोड़) शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, अन्य अनुदानों में जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 5,633 करोड़) शामिल है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना पहला प्रतिवेदन दिसम्बर 2019 में प्रस्तुत किया। सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता

में एक उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की (सितम्बर 2020)। उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति की एक बैठक जनवरी 2021 में आयोजित हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित सहायतार्थ अनुदान की स्थिति नीचे **तालिका 2.13** में दी गई है।

तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	हस्तांतरण	वर्ष 2020-21 के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा जारी
1	स्थानीय निकाय			
	(i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	**3,862.00**	**2,896.50**	**2,896.50**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	1,931.00	1,931.00	1,931.00
	(ब) टाईड अनुदान	1,931.00	965.50	965.50
	(ii) **शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान**	**1,859.00**	**1,859.00**	**1,859.00**
	क. नॉन मिलियन प्लस सिटी	**1,297.00**	**1,297.00**	**1,297.00**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	648.50	648.50	648.50
	(ब) टाईड अनुदान	648.50	648.50	648.50
	ख. मिलियन प्लस सिटी (जयपुर, जोधपुर एवं कोटा)	**562.00**	**562.00**	**562.00**
	(अ) संस्थानिक निर्माण सहित वायु गुणवत्ता सुधार उपायों हेतु	281.00	281.00	281.00#
	(ब) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने और फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु	281.00	281.00	281.00##
	योग (1)	**5,721.00**	**4,755.50**	**4,755.50**
2	राज्य आपदा मोचन निधि*	1,975.00	1,975.00	1,975.00
	महायोग (1 से 2)	**7,696.00**	**6,730.50**	**6,730.50**

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं राज्य के वित्त लेखे।

* *कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत सहित।*

\# *शहरी स्थानीय निकायों को 12.04.2021 को हस्तांतरित ₹ 140.50 करोड़ सहित।*

\#\# *शहरी स्थानीय निकायों को 06.04.2021 को हस्तांतरित ₹ 140.50 करोड़ सहित।*

स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) को हस्तांतरण

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं हेतु मूल अनुदान (अन-टाईड) तथा स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्तर बनाये रखने के लिए आवश्यक सेवाओं, पेय जल की आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण तथा जल पुनर्चक्रण हेतु अनुदान की सिफारिश की। वर्ष 2020-21 के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 5.3(vii) में बताया गया कि राज्य को 90:10 के अनुपात में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर पांचवी अनुसूची क्षेत्र के भीतर आने वाले राज्यों को अनुदान का आवंटन करना चाहिए। तदनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान को मिलियन प्लस समूह/शहरों तथा गैर-मिलियन शहरों एवं छावनी बोर्डों में बांटा गया है। मिलियन प्लस सिटी के लिये परिवेशी वायु गुणवत्ता सुधार उपायों और जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिये अनुदान दिया गया है। गैर-मिलियन

शहरों को मूल (अन-टाईड) और टाईड अनुदान दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिये कोई पूर्व शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

यह देखा गया कि पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिये ₹ 3,862 करोड़ (मूल अनुदान ₹ 1,931 करोड़ एवं टाईड अनुदान ₹ 1,931 करोड़) आवंटित किये तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹ 2,896.50 करोड़ जारी किये एवं ₹ 1,859 करोड़ (मिलियन प्लस शहर ₹ 562 करोड़ तथा गैर-मिलियन शहर ₹ 1,297 करोड़) शहरी स्थानीय निकायों को जारी किये। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को टाईड अनुदान ₹ 965.50 करोड़ की दूसरी क़िस्त जारी नहीं की तथा इसे वर्ष 2021-22 (मई 2021) में जारी किया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये 2020-21 की दूसरी क़िस्त देरी से जारी करने के सम्बन्ध में, वित्त विभाग ने (अक्टूबर 2021) सूचित किया कि जारी करने में देरी भारत सरकार के स्तर पर थी।

इसी तरह, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से क्षेत्रीय अनुदान (स्वास्थ्य, पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास, न्यायपालिका, सांख्यिकी) तथा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान (कृषि सुधार, बिजली क्षेत्र, शिक्षा तथा घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय पर्यटन) की भी सिफारिश की। इन अनुदानों के लिये सरकार को वर्ष 2021-22 से अनुदान की पात्रता के लिये वर्ष 2020-21 में कुछ प्रारम्भिक कार्य करने थे। कुछ अनुदानों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है:

क्षेत्रीय अनुदान

स्वास्थ्य:- पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को जिला अस्पतालों में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से सम्बंधित प्रारंभिक कार्य करना चाहिए। अनुदान प्राप्त करने के लिये जिला अस्पतालों को प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिये। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास:- पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि पुलिस प्रशिक्षण एवं आवास के लिये अनुदान प्रदान करने पर विचार करने के लिये, राज्य सरकार को अतिरिक्त सुविधाओ के निर्माण के लिये भूमि एवं परिसर की पहचान करनी चाहिए तथा वर्ष 2020-21 में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये प्रारम्भिक कार्य करना चाहिये । इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

न्यायपालिका:- इस क्षेत्रीय अनुदान को प्राप्त करने के लिये न्याय विभाग एवं राज्य सरकार को लंबित मामलों के अत्यधिक बैकलॉग को कम करने के लिये और अधिक फ़ास्ट ट्रैक अदालतें शुरू करने के लिये प्रारंभिक कार्यवाही करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में न्याय विभाग से (जून 2021) में सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन

बिजली क्षेत्र में सुधार: पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिये, विद्युत विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2020-21 में राज्य-वार लक्ष्यों एवं स्पष्ट रोडमैप के साथ एक

निगरानी योग्य प्रदर्शन सूचकांक विकसित करेगा। इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

शिक्षा के लिये प्रोत्साहन: पन्द्रहवें वित्त आयोग ने कुछ संकेतकों में वृद्धिशील परिवर्तन के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन की शुरुआत की, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रदर्शन सूचकांक का निर्माण करते है। वर्ष 2021-22 से इस वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिये मंत्रालय तथा राज्य सरकार को वर्ष 2020-21 के दौरान इन सूचकांकों के आधार पर राज्यवार लक्ष्य तैयार करने चाहिये। इस इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग से (जून 2021) सूचना मांगी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2021)।

घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय पर्यटन का प्रोत्साहन: पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि वर्ष 2020-21 के दौरान पर्यटन मंत्रालय, नीति आयोग तथा राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2021-22 से अनुदान हेतु पात्र बनने के लिये राज्य-वार रोडमैप एवं कार्य योजना विकसित करें। पर्यटन विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि न तो विभाग को भारत सरकार से रोडमैप प्राप्त हुआ और न ही पर्यटन मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आतंरिक स्त्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। निवल पूंजीगत प्राप्तियाँ लोक ऋण के निर्वहन के बाद शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियां और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां हैं।

निम्न तालिका में निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृतियों को दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्त्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	पूंजीगत प्राप्तियाँ	**40,615**	**32,033**	**36,110**	**41,831**	**49,328**
1.	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	28	16	20	20	14
2.	ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	1,713	15,134	15,158	15,670	373
3.	निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	38,874	16,883	20,932	26,141	48,941
4.	*आंतरिक ऋण*	35,993	15,959	19,068	22,766	42,712
5.	*वृद्धि दर*	(-) 34.34	(-) 55.66	19.48	19.39	87.61
6.	*भारत सरकार से ऋण और अग्रिम*	2,881	924	1,864	3,375	6,229
7.	*वृद्धि दर*	135.38	(-) 67.93	101.73	81.07	84.56
8.	ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)30.63	(-)56.57	23.98	24.89	87.22
9.	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	18.27	770.19	0.18	3.37	(-) 97.53
10.	जीएसडीपी की वृद्धि दर	11.63	9.78	12.86	8.32	(-) 4.11
11.	पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 29.38	(-) 21.13	12.73	15.84	17.92

स्त्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा।

पूँजीगत प्राप्तियां वर्ष 2019-20 में ₹ 41,831 करोड़ से 17.92 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 49,328 करोड़ हो गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ 86.59 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 12.63 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋण तथा अग्रिमों से आयी। वर्ष 2020-21 के दौरान, आंतरिक ऋण में 87.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में गत वर्ष की तुलना में 84.56 प्रतिशत की वृद्धि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिये बैक-टू-बैक ऋण योजना के तहत ₹ 4,604 करोड़ की प्राप्ति के कारण हुई। प्रभावी निवल लोक ऋण प्राप्तियां ₹44,337 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मापदंड के अन्तर्गत राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। परिणामस्वरूप, प्रभावी निवल पूंजीगत प्राप्तियां ₹44,724 करोड़ होगी।

2.3.4 संसाधनों की वृद्धि में राज्य का प्रदर्शन

चूंकि केंद्रीय करों में राज्यांश एवं सहायतार्थ अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्व-संसाधनों के संन्दर्भ में किया गया जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित थे।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ बजट अनुमानों को **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों से वास्तविक का प्रतिशत विचलन
1.	स्व-कर राजस्व	77,029	60,283	(-) 21.74
2.	कर-भिन्न राजस्व	19,596	13,653	(-) 30.33

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज ।

स्व-कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियां बजट अनुमानों से क्रमशः 21.74 प्रतिशत (₹ 16,746 करोड़) तथा 30.33 प्रतिशत (₹ 5,943 करोड़) कम थी जो राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, जिसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है। यह अनुच्छेद उप-अनुच्छेदों के साथ राज्य में व्यय का विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

2.4.1 व्यय का संयोजन एवं वृद्धि

तालिका 2.16 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2016-21) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृतियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा उसके संयोजन

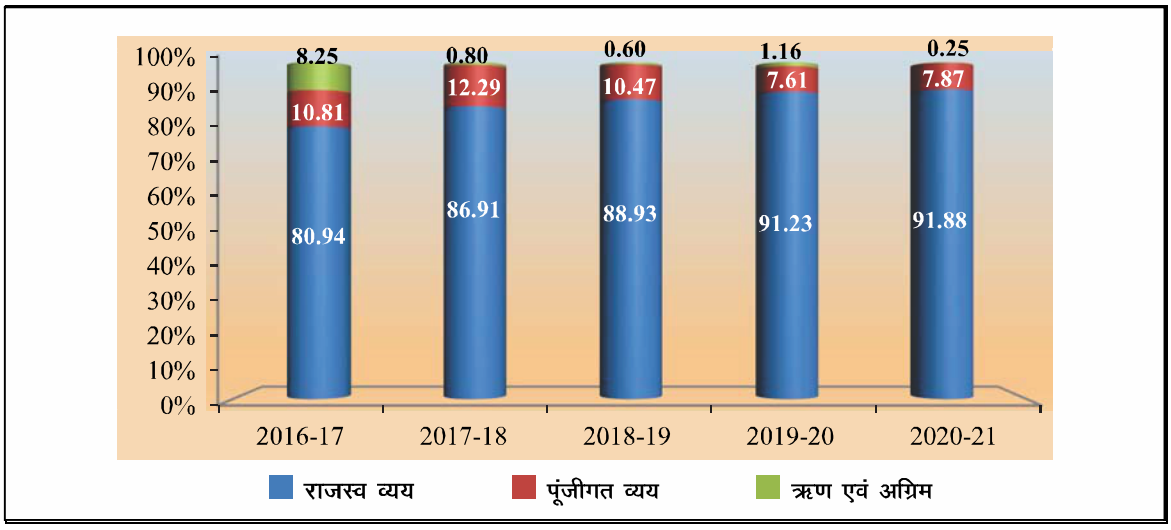
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कुल व्यय	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
2.	राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
3.	पूंजीगत व्यय	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271
4.	ऋण एवं अग्रिम	12,965	1,334	1,113	2,255	491
	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में					
5.	कुल व्यय/जीएसडीपी	20.65	20.25	20.34	19.37	20.26
6.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी	16.72	17.60	18.09	17.67	18.61
7.	पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.23	2.49	2.13	1.47	1.59
8.	ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	1.70	0.16	0.12	0.23	0.06

स्रोतः वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 1,57,085 करोड़ से 23.55 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,94,071 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष की तुलना में 0.32 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में सीमांत वृद्धि एवं ऋण एवं अग्रिम में प्रतिसंतुलित कमी के कारण हुई। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 19.37 प्रतिशत से 20.65 प्रतिशत के मध्य रहा। राज्य में कुल व्यय की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान (0.32 प्रतिशत), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर 4.54 प्रतिशत से काफी कम थी ***(परिशिष्ट 1.1)***।

चार्ट 2.8: कुल व्ययः घटक वार अंश की प्रवृतियाँ



स्रोतः वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त **चार्ट** और **तालिका 2.17** से स्पष्ट है, पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका अंश जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016-17 में 2.23 प्रतिशत (₹ 16,980 करोड़) से घटकर 2020-21 में 1.59 प्रतिशत (₹ 15,271 करोड़) रह गया। वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (-2.36 प्रतिशत) की तुलना में कम (-7.13 प्रतिशत) थी।

गतिविधियों के सन्दर्भ में, कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतार्थ अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय से संगठित माना जा सकता है।

तालिका 2.17: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्ष घटक

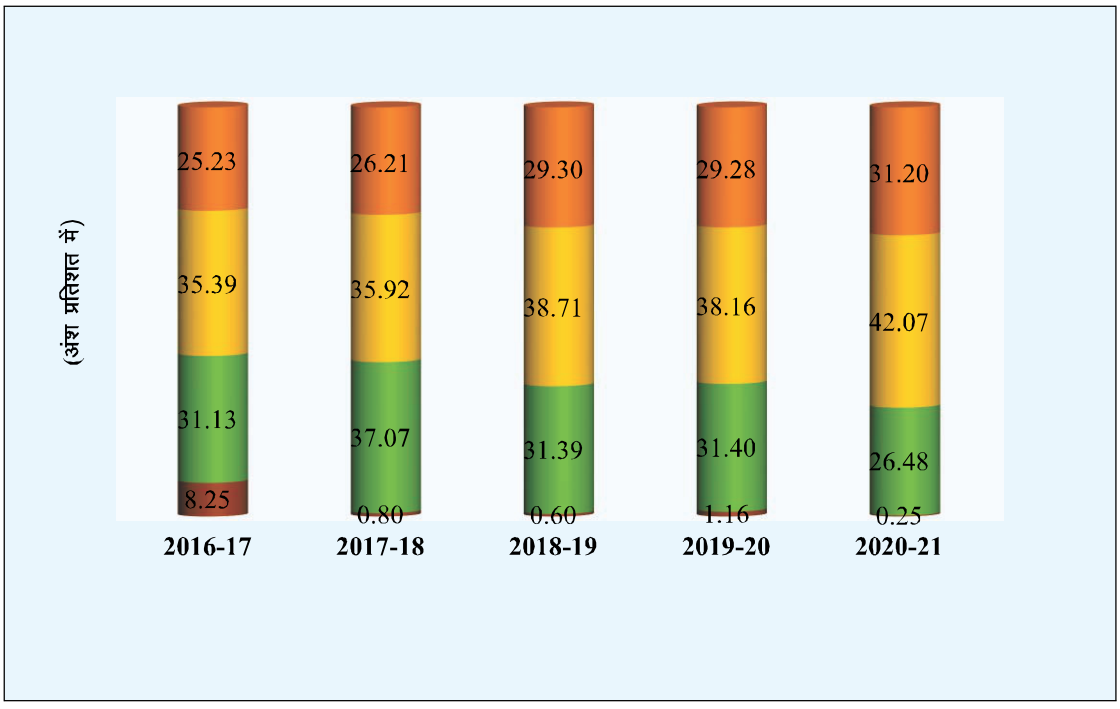
(प्रतिशत में)

क्र. सं.	मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सामान्य सेवायें	25.23	26.21	29.30	29.28	31.20
2.	सामाजिक सेवायें	35.39	35.92	38.71	38.16	42.07
3.	आर्थिक सेवायें	31.13	37.07	31.39	31.40	26.48
4.	अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	8.25	0.80	0.60	1.16	0.25

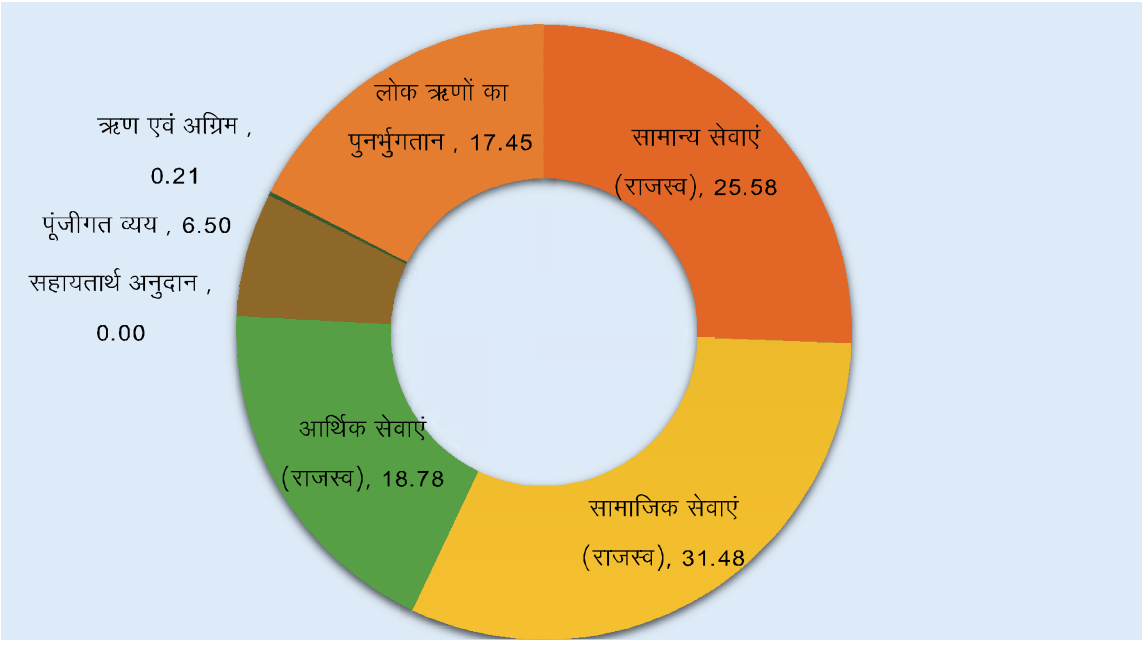
स्रोतः वित्त लेखे ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं के सापेक्ष अंश में कमी मुख्य रूप से विद्युत, फसल कृषि कर्म, सड़क एवं सेतु तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।

चार्ट 2.9: कुल व्यय-गतिविधि वार व्यय



चार्ट 2.10: व्यय का संयोजन



2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है । गत पांच वर्षों के लिये कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा जीएसडीपी से अनुपात को **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है । राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय–आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

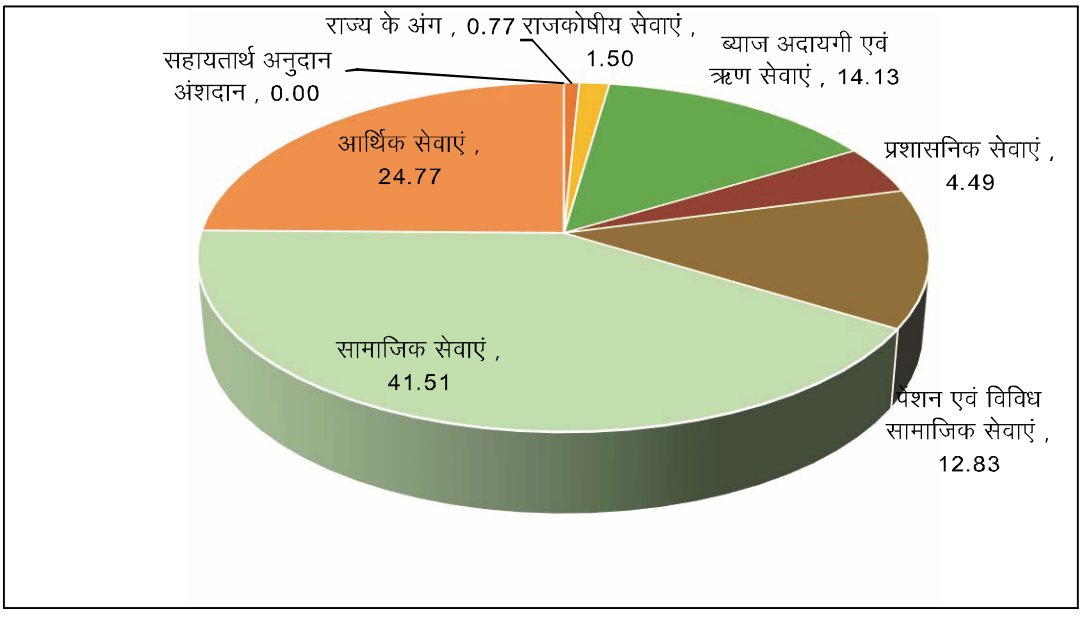
क्र. सं.	मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कुल व्यय	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
2.	राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
3.	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.67	14.71	14.35	5.82	1.03
4.	राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	80.94	86.91	88.93	91.23	91.88
5.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	16.72	17.60	18.09	17.67	18.61
6.	राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	116.61	114.56	120.96	125.96	132.76
	राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
7.	जीएसडीपी (अनुपात)	1.69	1.64	1.28	0.69	-*
8.	राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	2.26	0.88	1.73	3.57	-*

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

* वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 91.88 प्रतिशत था। यह वर्ष 2016-17 में ₹ 1,27,140 करोड़ से 8.82 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,78,309 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 1.03 प्रतिशत (₹ 1,824 करोड़) की वृद्धि हुई।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि / कमी (-)
1.	2217- शहरी विकास	4,274.80	5,982.22	1,707.42
2.	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	20,761.31	22,439.62	1,678.31
3.	2401- फसल कृषि कर्म	2,467.00	4,049.76	1,582.76
4.	2049- ब्याज भुगतान	23,643.27	25,201.81	1,558.54
5.	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8,195.48	9,647.75	1,452.27
6.	2202- सामान्य शिक्षा	33,145.84	34,506.82	1,360.98
7.	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	741.23	1,375.45	634.22
8.	3456- नागरिक आपूर्ति	658.10	1,277.33	619.23
9.	2801- बिजली	22,734.43	14,264.26	(-) 8,470.17
10.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,807.53	6,216.41	(-) 1,591.12
11.	3054- सड़क एवं सेतु	2,102.55	1,464.00	(-) 638.55

स्रोतः वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान 'विद्युत' तथा 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट हुई है, जिसका मुख्य कारण विद्युत कंपनियों तथा जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों/ग्राम पंचायतों को कम सहायता दिया जाना है।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार की विकास गतिविधियों के लिए संसाधन सीमित हो जाते है । **तालिका 2.20** वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृतियां प्रदर्शित करती है।

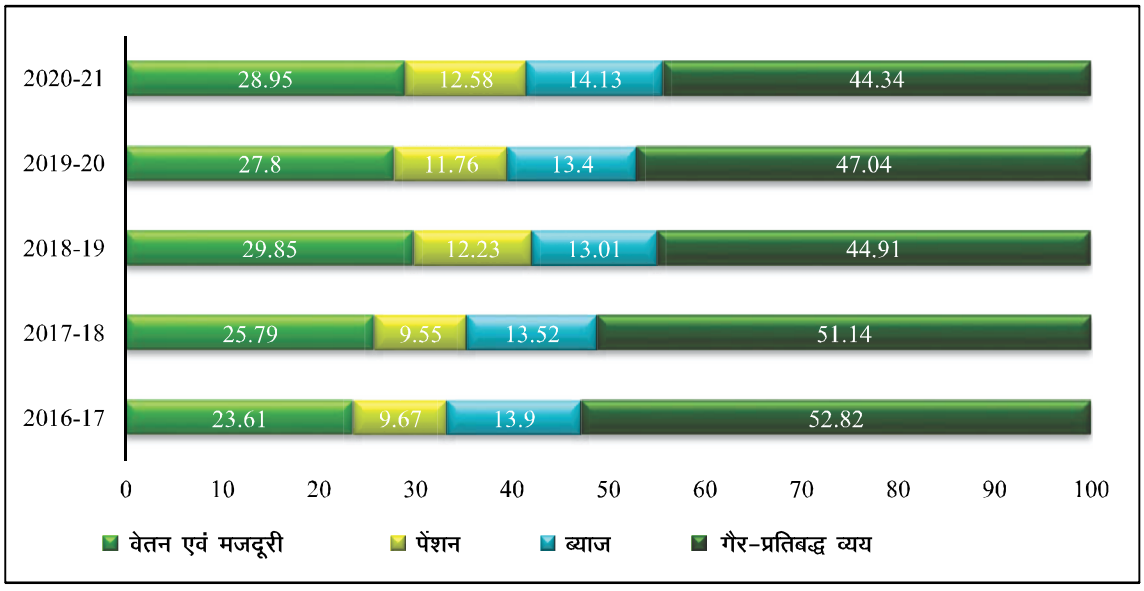
तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वेतन एवं मजदूरी	30,016	37,611	49,790	49,066	51,619
2.	पेंशन पर व्यय	12,296	13,925	20,396	20,761	22,440
3.	ब्याज अदायगी	17,677	19,720	21,695	23,643	25,202
	योग	**59,989**	**71,256**	**91,881**	**93,470**	**99,261**
	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
4.	वेतन एवं मजदूरी	27.53	29.54	36.11	35.02	38.43
5.	पेंशन पर व्यय	11.28	10.94	14.80	14.82	16.71
6.	ब्याज अदायगी	16.21	15.49	15.74	16.87	18.76
	योग	**55.02**	**55.97**	**66.65**	**66.71**	**73.90**
	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
7.	वेतन एवं मजदूरी	23.61	25.79	29.85	27.80	28.95
8.	पेंशन पर व्यय	9.67	9.55	12.23	11.76	12.58
9.	ब्याज अदायगी	13.90	13.52	13.01	13.40	14.13
	योग	**47.18**	**48.86**	**55.09**	**52.96**	**55.66**

स्रोतः वित्त लेखे।

चार्ट 2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2016-17 के 47.18 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 55.09 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के 52.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 55.66 प्रतिशत हो गया, लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर 52.96 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात बढ़ा है। प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 73.90 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का केवल लघु हिस्सा अप्रतिबद्ध व्यय के लिये उपलब्ध है।

वेतन और मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2016-17 के ₹ 30,016 करोड़ से 14.52 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 51,619 करोड़ हो गया । वर्ष 2020-21 के दौरान, वेतन और मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 5.20 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (2.27 प्रतिशत) से अधिक थी । यह मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में राज्य सरकार द्वारा किए गए आंकलन (₹ 55,938 करोड़) से ₹ 4,319 करोड़ कम रहा।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2016-17 में ₹12,296 करोड़ से 16.23 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 2020-21 में ₹ 22,440 करोड़[9] हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय

9. इसमें 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ के पेटे वर्तमान वर्ष के दौरान हुये व्यय ₹ 20,208.71 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के ₹ 2,178.91 करोड़ शामिल है।

पेंशनरों की कुल संख्या[10] में 9,392 (2.2 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 8.09 प्रतिशत बढ़ा, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (6.02 प्रतिशत) से अधिक था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 12.6 प्रतिशत (2019-20 में 11.8 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट आंकलनों की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय **तालिका 2.21** में दिया गया है।

तालिका 2.21: राज्य के एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के सापेक्ष पेंशन भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में किये गए अनुमान	वास्तविक
2020-21	23,404	22,440

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

तालिका यह दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2020-21 के लिए किए गए अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के भीतर था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2016-17 के ₹ 17,677 करोड़ से 9.27 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 25,202 करोड़ हो गया। ब्याज भुगतान गत वर्ष (₹ 23,643 करोड़) की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ 25,202 करोड़) 6.59 प्रतिशत बढ़ा जो मुख्यतः बाजार ऋण में ₹ 51,179 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का अनुपात वर्ष 2020-21 के लिए 18.8 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (16.9 प्रतिशत) से अधिक था।

राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के संदर्भ में ब्याज अदायगियों को **तालिका 2.22** में दिया गया है।

तालिका 2.22: राज्य के एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के सापेक्ष ब्याज अदायगियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में अनुमान	वास्तविक
2020-21	25,494	25,202

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

तालिका दर्शाती है कि ब्याज अदायगियाँ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए एमटीएफपीएस/बजट में किए गए अपने अनुमानों के भीतर थी।

10. पेंशनरों की संख्या 2019-20: 4,30,931 एवं 2020-21: 4,40,323

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, लागू की जा चुकी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना अनिवार्य है और समान अंशदान सरकार द्वारा दिया जाना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा नियुक्त पेंशन निधि मे कर्मचारी के अंशदान के साथ नियोक्ता के अनुरूप योगदान को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

राजस्थान सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रारूपित किए गए एनपीएस आर्किटेक्चर को हु-बहू अंगीकृत किया है तथा एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट के साथ क्रमशः 09 नवंबर 2010 एवं 02 दिसंबर 2010 को समझौता किया। अंशदान विवरण और अनुरूप राशियाँ नवंबर 2011 से एनएसडीएल और ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित की जा रही हैं। नवम्बर 2011 से पहले, कर्मचारियों के पेंशन खाते के अंशदान और सरकार के समान अंशदान (वर्ष 2011-12 तक खाते के सम्बंधित वेतन शीर्ष से) को संबंधित कोषालय अधिकारियों द्वारा बजट शीर्ष 8011-106-103-01 में संधारित ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) खाते में जमा किया जा रहा था, जिसे लीगेसी राशि भी कहा जाता है।

निदेशालय, राज्य बीमा प्रावधायी निधि (एसआईपीएफ) विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.23: एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	लीगेसी राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तांतरित की गई कुल राशि	अहस्तांतरित लीगेसी राशि	बकाया लीगेसी राशि पर ब्याज	हस्तांतरित की जाने वाली शेष लीगेसी राशि
1.	31/10/2011तक	1,393.92	0.00	1,393.92	0.00	1,393.92
2.	01/11/2011 से 31/03/2012	1,393.92	0.00	1,393.92	97.41	1,491.33
3.	2012-13	1,491.33	613.58	877.75	56.20	933.95
4.	2013-14	933.95	363.97	569.98	60.00	629.98
5.	2014-15	629.98	297.31	332.67	37.09	369.76
6.	2015-16	369.76	131.66	238.10	34.97	273.07
7.	2016-17	273.07	161.70	111.37	9.46	120.83
8.	2017-18	120.83	65.04	55.79	7.34	63.13
9.	2018-19	63.13	20.72	42.41	4.02	46.43
10.	2019-20	46.43	10.14	36.29	7.65	43.94
11.	2020-21	43.94	7.85	36.09	1.24	37.33

स्रोतः राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2021 को, लीगेसी राशि के पेटे ₹ 37.33 करोड़ शेष राशि हस्तांतरण के लिए लंबित है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि

31.10.2021 को ₹ 32.88 करोड़ की लीगेसी राशि समाशोधन कारणों जैसे कि प्रान नम्बर का मिलान नहीं होना, कटौती विवरण की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण लंबित थी।

नवंबर 2011 से, राजस्थान सरकार अखिल भारतीय सेवा (ए आई एस) के अधिकारियों के अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 8342-117 और अन्य सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-106 संचालित करती है। कर्मचारियों के अंशदान को इन शीर्षों में हस्तांतरित किया जाना है तथा सरकार के अंशदान को एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट को आगे हस्तांतरण के लिए एसआईपीएफ विभाग द्वारा 01 अप्रेल 2012 से मुख्य शीर्ष 2071-01-117-01-89 से आहरित किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक, ₹ 160.83 करोड़ की राशि (₹ 37.33 करोड़ लीगेसी राशि के रूप में, ₹ 123.01 करोड़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के अहस्तांतरित अंशदान और ₹ 0.49 करोड़ एआईएस अधिकारियों के अहस्तांतरित अंशदान) एनएसडीएल में हस्तांतरण के लिए लंबित थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज देयता थी। इसके अलावा, नियोक्ता के अनुकूल सह-अंशदान भी एनएसडीएल को हस्तांतरण के लिए लंबित था, जो राज्य सरकार की देयता है।

2.4.2.4 अर्थ-सहाय्य

एक कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के लिए अर्थ-सहाय्य, राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) एवं राजस्व व्यय (रा व्य) के प्रतिशत के रूप में निम्नानुसार है:

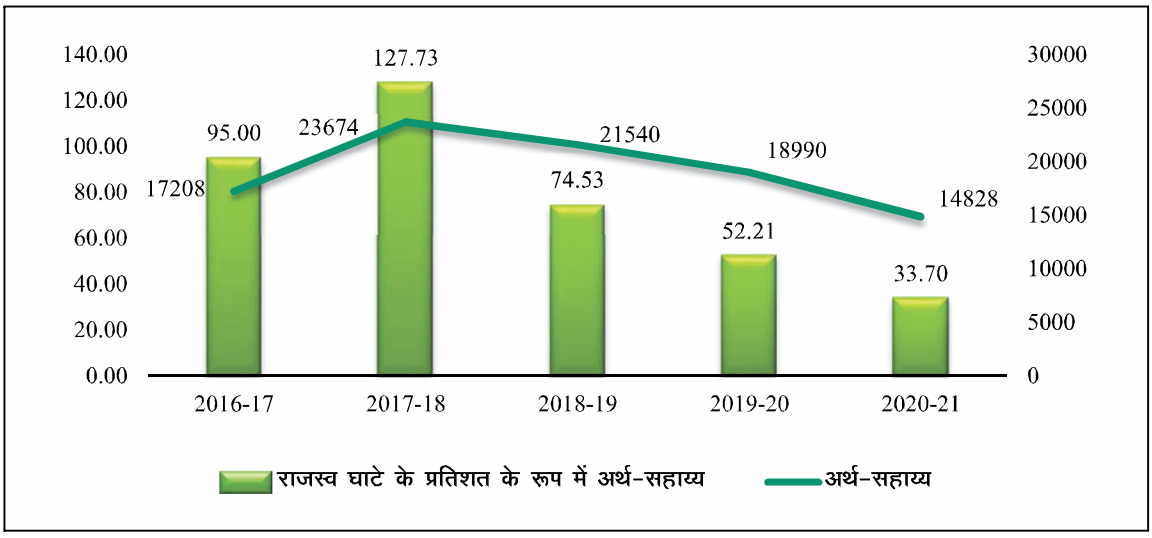
तालिका 2.24: वर्ष 2016-21 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	अर्थ-सहाय्य	17,208	23,674	21,540	18,990	14,828
2.	अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	15.78 **(1,09,026)**	18.60 **(1,27,307)**	15.62 **(1,37,873)**	13.55 **(1,40,114)**	11.04 **(1,34,308)**
3.	अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	13.53 **(1,27,140)**	16.23 **(1,45,842)**	12.92 **(1,66,773)**	10.76 **(1,76,485)**	8.32 **(1,78,309)**
4.	अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	95.00 **(18,114)**	127.73 **(18,535)**	74.53 **(28,900)**	52.21 **(36,371)**	33.70 **(44,001)**
5.	सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	16,842	23,391	21,204	18,644	14,264
6.	विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	97.87	98.80	98.44	98.18	96.20

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य



अर्थ-सहाय्य में वर्ष 2017-18 से सापेक्ष रूप से तथा राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर भुगतान (₹ 14,828 करोड़) गत वर्ष (₹ 18,990 करोड़) की तुलना में 21.92 प्रतिशत कम रहा । राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य दर्शाता है कि राजस्व घाटे में अर्थ-सहाय्य का योगदान कितना है। 100 से अधिक प्रतिशतता यह दर्शाती है कि यह केवल वर्ष के दौरान अर्थ-सहाय्य प्रदान करने के कारण है, जिससे राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाता है। वर्ष 2016-17 में अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे का 95 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटे का 33.70 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 52.21 प्रतिशत था।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य का सबसे वृहत घटक विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य था जो कुल अर्थ-सहाय्य का 96.20 प्रतिशत (₹ 14,264 करोड़) था । वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युत क्षेत्र को विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने हेतु अनुदान (₹ 12,754.09 करोड़) और विद्युत शुल्क हेतु अनुदान (₹ 1,414.37 करोड़) प्रदान किये गए थे। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किये गए कुल अर्थ-सहाय्य के 96.20 प्रतिशत से 98.80 प्रतिशत के मध्य रही।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य (₹14,264.25 करोड़) गत वर्ष (₹ 18,644.02 करोड़) की तुलना में 23.49 प्रतिशत (₹ 4379.77 करोड़) कम हुआ, जो मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता के रूप में ₹ 9,726.06 करोड़ की कमी के कारण था।

वर्ष 2020-21 में अर्थ-सहाय्य का दूसरा सबसे बड़ा घटक फसल कृषि-कर्म (₹ 292.50 करोड़) था जो वर्ष 2019-20 में ₹ 214.64 करोड़ से 36.27 प्रतिशत बढ़ गया । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अर्थ-सहाय्य वर्ष 2019-20 में ₹ 103.82 करोड़ से 103 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 210.90 करोड़ हो गया।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 39,744.68 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में गत वर्ष (₹ 41,024.82 करोड़) की तुलना में 3.12 प्रतिशत कमी मुख्यतः अन्य संस्थाओं के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को सहायता में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के 20.90 प्रतिशत से 25.87 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2016-21 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान और ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	(अ) स्थानीय निकाय					
1.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,839.93	3,695.48	3,811.13	3,781.24	5,205.98
2.	पंचायती राज संस्थाएं	14,472.66	18,550.27	14,834.25	15,270.45	14,543.19
	योग (अ)	**18,312.59**	**22,245.75**	**18,645.38**	**19,051.69**	**19,749.17**
	(ब) अन्य					
3.	शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	1,671.13	1,283.29	1,452.88	1,487.70	1,267.73
4.	विकास अभिकरण	7.61	11.68	13.65	12.41	12.87
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	77.41	918.96	1,241.07	898.43	430.43
6.	अन्य संस्थान	12,823.46	10525.42	13,509.23	19,574.59	18,284.48[11]
	योग (ब)	**14,579.61**	**12,739.35**	**16,216.83**	**21,973.13**	**19,995.51**
	योग (अ+ब)	**32,892.20**	**34,985.10**	**34,862.21**	**41,024.82**	**39,744.68**
7.	राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
8.	राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	25.87	23.99	20.90	23.25	22.29

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, वित्तीय सहायता मुख्यतः को दी गई

- कृषि ऋण माफी योजना (₹4,517.28 करोड़),
- प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जिला परिषदों को अनुदान (₹2,630.37 करोड़),

11. इसमें मुख्यतः(i) सहकारी संस्थानोंः ₹5,248.63 करोड़; (ii) फसल कृषि कर्मः ₹2,748.10 करोड़; (iii) परिवार कल्याणः ₹2,637.67 करोड़; (iv) शिक्षाः ₹2,254.28 करोड़; (v) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहतः ₹673.57 करोड़ और (vi) सरकारी कम्पनियांः ₹541.01 करोड़, के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

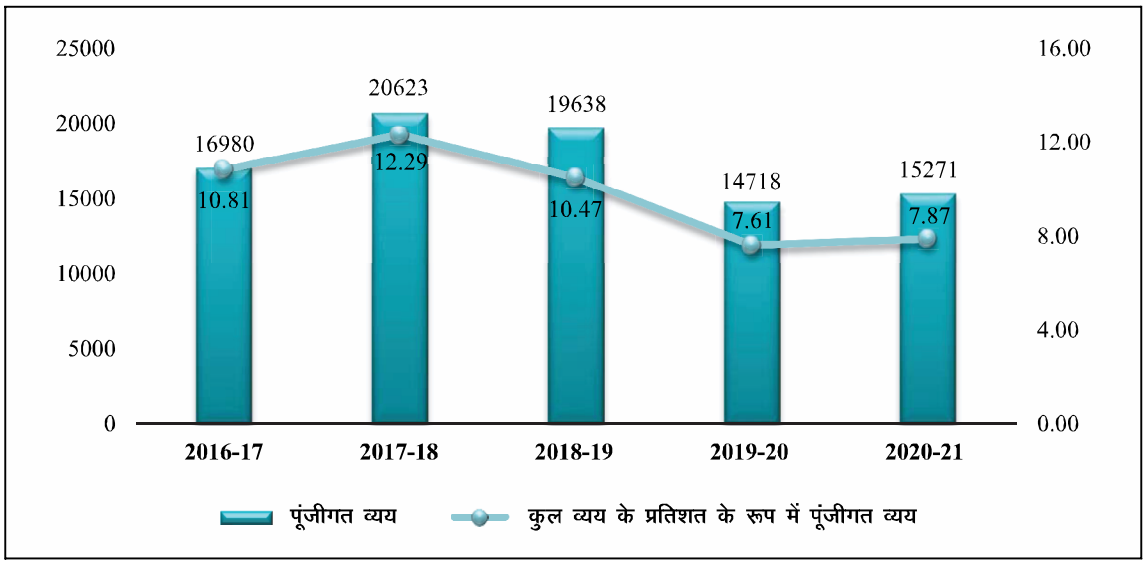
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 2,474.20 करोड़),
- फसल बीमा योजना (₹2,337.83 करोड़)
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 2,178.33 करोड़),
- नगर निगमों /नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को चुंगी पुनर्भरण (₹ 2,084.00 करोड़),
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 1,929.23 करोड़),
- प्राथमिक विद्यालयों हेतु पंचायत समितियों को अनुदान (₹ 1,593.59 करोड़),
- केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को सामान्य मूल अनुदान (₹ 1,448.25 करोड़),
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान (₹ 1,190.90 करोड़) एवं
- विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड-डे मील योजना (₹ 873.58 करोड़)।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत संपत्तियों के सृजन जैसे सड़कों, भवनों आदि पर होने वाला व्यय है। वर्ष 2016-21 के दौरान समग्र पूंजीगत व्यय तथा इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता को **चार्ट 2.14** में इंगित किया गया है ।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत अंश वर्ष 2019-20 में 7.61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 7.87 प्रतिशत हो गया। यह वर्ष 2016-17 में ₹16,980 करोड़ से 2.62 प्रतिशत सीएजीआर की दर से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹ 15,271 करोड़ रह गया।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को **तालिका 2.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि / कमी (-)
1.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	694.92	1,483.67	788.75
2.	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,184.44	3,832.74	648.30
3.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	766.07	1,280.49	514.42
4.	4700- मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,584.83	1,878.99	294.16
5.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	483.82	631.85	148.03
6.	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,130.00	403.49	(-) 1,726.51
7.	5054- सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,200.80	3,004.93	(-) 195.87
8.	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	375.04	239.15	(-) 135.89

स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत (₹ 552.44 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः शहरी विकास (₹ 788.75 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 648.30 करोड़), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 514.42 करोड़) के अंतर्गत थी और यह विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,726.51 करोड़ की कमी से एक सीमा तक प्रतिसंतुलित हुई।

तालिका 2.27: निवेश पर प्रतिलाभ

क्र. सं.	निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	41,733.94	45,780.60	49,861.39	52,208.91	52,784.40
2.	प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	67.80	66.76	55.80	54.47	2.89
3.	प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.16	0.15	0.11	0.10	0.01
4.	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[12] (प्रतिशत)	7.61	7.36	7.32	7.12	6.60
5.	ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अंतर (प्रतिशत)	7.45	7.21	7.21	7.02	6.59
6.	सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)#	3,109.18	3,300.78	3,595.01	3,665.07	3478.49

स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष के अंत तक निवेश का ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच के अंतर से गुणा।

12. सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर = ब्याज अदायगी/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं +वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100

राज्य सरकार के वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में सरकार के निवेश का विवरण निहित है। विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक 44 सरकारी कम्पनियों (₹ 50,253.97 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 11 संयुक्त साँझी कम्पनियों (₹ 1,102.58 करोड़), 22 संयुक्त पूंजी कम्पनियों (₹ 2.16 करोड़), एक साझेदारी निकाय[13] और सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 587.66 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 52,784.40 करोड़ था। पांच विद्युत कम्पनियों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 47,798.55 करोड़ था जो राज्य सरकार के कुल निवेश का 90.55 प्रतिशत था। वर्ष 2016-21 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.01 से 0.16 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने उधारों पर 6.60 से 7.61 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया (**तालिका 2.27**) जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम है।

तालिका 2.28: पूर्णतः अपक्षरित निवल संपत्तियों वाली कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	अवधि के लेखे प्राप्त (30 सितम्बर 2021 तक)	31 मार्च 2021 को निवल मूल्य	2020-21 के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2021 को संचयी निवेश
1.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	(-)17,424.91	114.92	11,447.43
2.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	(-)21,008.01	148.97	10,636.96
3.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	(-)17,601.80	106.32	10,571.89
	कुल		**(-)56,034.72**	**370.21**	**32,656.28**

वर्ष 2020-21 के अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 15,270.49 करोड़ में से राज्य सरकार ने उन कंपनियों में ₹ 370.21 करोड़ का निवेश किया था जिनकी निवल पूंजी पूरी तरह अपक्षरित हो गयी थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा हानि वाली कंपनियों में निवेश नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। **तालिका 2.29,** 31 मार्च 2021 को बकाया ऋण एवं अग्रिम और विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 2.29: पांच वर्षों के दौरान संवितरित ऋणों और वसूलियों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संवितरित ऋणों और वसूलियों की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	**39,856**	**51,108**	**37,308**	**23,263**	**9,848**
2.	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	12,965	1,334	1,113	2,255	491
3.	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1,713	15,134*	15,158*	15,670*	373
4.	बकाया ऋणों का अन्तिम शेष	**51,108**	**37,308**	**23,263**	**9,848**	**9,966**
5.	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरण – भुगतान)	11,252	(-)13,800	(-)14,045	(-)13,415	118
6.	ब्याज प्राप्तियाँ	172	3,020	4,390	2,568	1,253

13. केवल ₹ 20,833

क्र. सं.	संवितरित ऋणों की मात्रा और वसूलियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	0.38	6.83	14.50	15.51	12.65
8.	सरकार द्वारा बकाया ऋण पर अदा की गई ब्याज दर	7.61	7.36	7.32	7.12	6.60
9.	चुकाए गए ब्याज एवं प्राप्त ब्याज की दर में अंतर (प्रतिशत)	(-) 7.23	(-) 0.53	(+) 7.18	(+) 8.39	(+) 6.05

स्रोतः वित्त लेखे

** अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित उदय ऋण सहितः 2017-18=₹15,000 करोड़, 2018-19 = ₹15,000 करोड़ एवं 2019-20 = ₹14,722 करोड़।*

कुल ऋण और अग्रिम (₹9,966 करोड़) में बिजली परियोजनाओं को दिये गये ₹ 5,516 करोड़ (55.35 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि वर्ष 2019-20 के ₹ 2,255 करोड़ से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹ 491 करोड़ (सामाजिक सेवाओंः ₹ 281 करोड़ और आर्थिक सेवाओंः ₹ 210 करोड़) हो गयी।

वर्ष के दौरान, ऋणों का बड़ा भाग राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल निधि (₹150 करोड़), जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (फेज 1-बी) (₹ 127 करोड़), स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (₹ 58 करोड़) और राजस्थान राज्य परिवहन निगम लिमिटेड (₹ 50 करोड़) को दिया गया था।

2.4.3.2 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक निकाय और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो पर्याप्त एवं मात्रात्मक आधारभूत विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढांचा प्रदान करती है। पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। यह राज्य सरकार के पीपीपी के लिए किये गए सभी प्रयासों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में और पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2021) के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक ₹ 16,564.42 करोड़ की 185 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी है एवं ₹2,611.36 करोड़ की 30 परियोजनाएँ प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 16,855.78 करोड़ की 38 परियोजनाएँ योजना के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील और भविष्य में ली जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.30** में दिया गया है।

तालिका 2.30: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	70	8,142.29	5	597.87	10	1,565.04
2.	शहरी आधारभूत संरचना	26	456.74	9	609.97	17	13,071.20
3.	विद्युत	11	7,097.90	9	1,356.92	3	1636.11
4.	जल	1	46.00	-	-	1	365.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	61	607.12	6	40.60	6	217.43
7.	अन्य	15	160.36	1	6.00	1	1.00
	योग	**185**	**16,564.42**	**30**	**2,611.36**	**38**	**16,855.78**

स्रोतः आयोजना विभाग द्वारा प्रदान करायी गई सूचना।

वर्ष 2020-21 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में प्रकट हुआ है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष पीपीपी परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट प्रपत्र में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) कम होती है यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 2.31, वर्ष 2016-17 और 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार का कुल व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.31: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र.सं.		कुल व्यय /जीएसडीपी	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण /कुल व्यय
1.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2016-17	17.12	19.77	14.93	5.49
2.	राजस्थान 2016-17	20.65	19.06	15.54	5.25

3.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2020-21	16.18	13.03	15.00	6.74
4.	राजस्थान 2020-21	20.26	8.12	18.55	6.50

स्रोतः राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखे।

तालिका 2.31 निम्नानुसार इंगित करती हैः

- वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (16.18 प्रतिशत) की तुलना में राज्य में कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात (20.26 प्रतिशत) अधिक था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात (8.12 प्रतिशत) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (13.03 प्रतिशत) की तुलना में कम था। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2016-17 में राजस्थान का अनुपात (19.06) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (19.77) की तुलना में केवल मामूली रूप से कम था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में कम था।

2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

कार्यात्मक शीर्ष व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।



वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल व्यय का 74.97 प्रतिशत वेतन, पेंशन, सहायतार्थ-अनुदान (गैर-संवेतन), ब्याज/लाभांश भुगतान और अर्थ-सहाय्य पर व्यय किया गया, जबकि शेष 25.03 प्रतिशत अन्य उद्देश्यों पर व्यय किया गया।

2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष उपलब्ध निधियाँ सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए रहती हैं।

2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.32** में दिये गये हैं।

तालिका 2.32: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	I. अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	**3,380**	**3,201**	**5,383**	**3,991**	**4,857**
2.	J. आरक्षित निधियां	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	93	(-) 243	587	3,094	697
		(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	566	1,079	(-) 20	1,236	664
		उप-योग	**659**	**836**	**567**	**4,330**	**1,361**
3.	K. जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज वाली जमा	425	393	436	2,150	3,604
		(ब) बिना ब्याज वाली जमा	2,815	5,309	3,620	2,875	(-) 733
		(स) अग्रिम	2	1	-	-	-
		उप-योग	**3,242**	**5,703**	**4,056**	**5,025**	**2,871**
4.	L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	(-) 89	(-) 7	(-) 30	105	125
		(ब) अन्य लेखे	(-) 30	(-) 20	(-) 27	(-) 19	(-) 9
		(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	-	-	-	-	-
		(द) विविध	-	-	-	-	-
		उप-योग	**(-) 119**	**(-) 27**	**(-) 57**	**86**	**116**
5.	M. प्रेषण	(अ) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-) 3	11	8	4	-
		(ब) अन्तःसरकार समायोजन लेखा	-	(-) 1	1	(-) 12	12
		उप-योग	**(-) 3**	**10**	**9**	**(-) 8**	**12**
	योग		**7,159**	**9,723**	**9,958**	**13,424**	**9,217**

स्रोतः वित्त लेखे

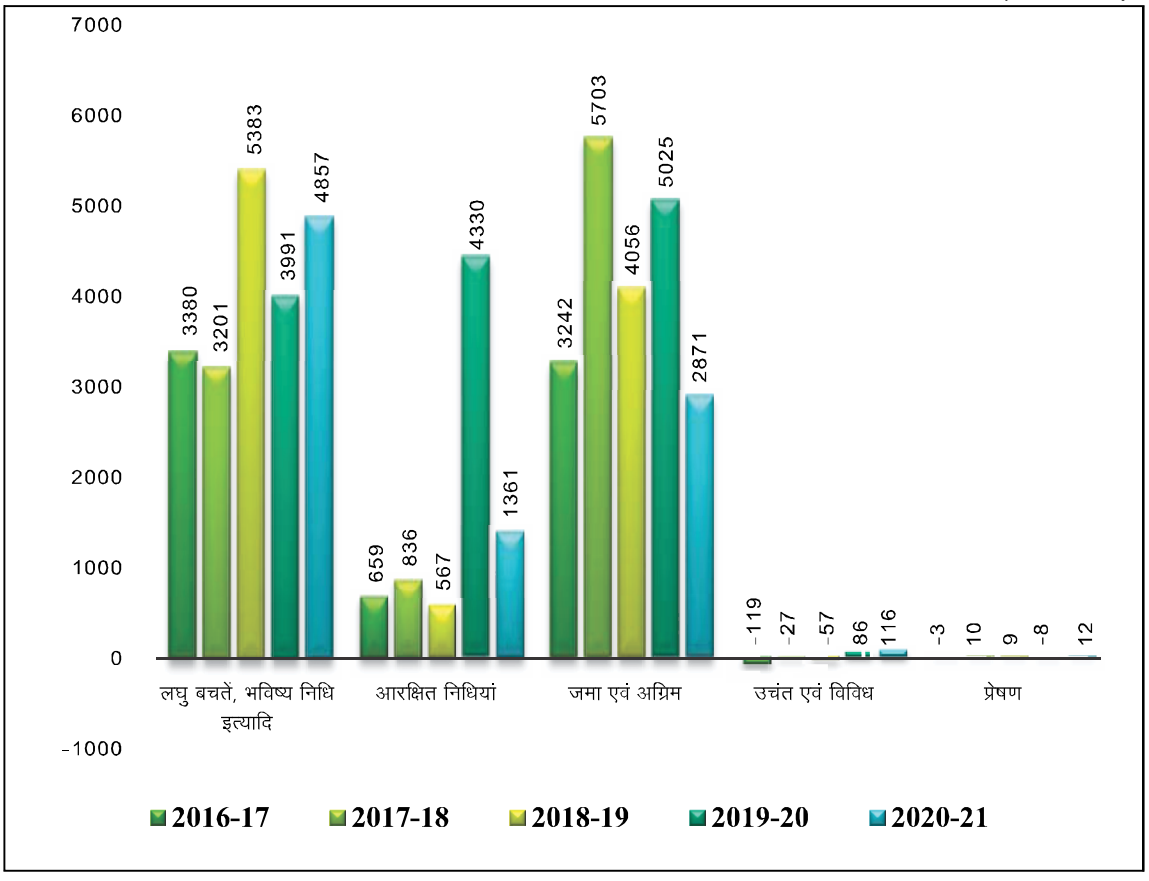
** निवल शेष का अर्थ है वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का अन्तर।*

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2016-21 के दौरान सीएजीआर 6.52 प्रतिशत से बढ़ी और वर्ष 2016-17 में ₹ 7,159 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 9,217 करोड़ हो गई। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान, निवल लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 31.34 प्रतिशत की कमी हुई।

पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2016-21 में लोक लेखा में शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन **चार्ट 2.15** में दिया गया है।

चार्ट 2.15: लोक लेखा शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। आगे इन निधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर ये निधियाँ बनाई जाती है। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुर्नभरण किया जाता है।

31 मार्च 2021 को, ₹ 4,528.43 करोड़ की चार ब्याज वाली संचालित निधियों सहित लोक लेखों में राशि ₹ 11,242.76 करोड़[14] की 28 आरक्षित निधियाँ थी।

- ***संचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की 24 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 6,227.67 करोड़ जमा किये गये थे, जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,971.92 करोड़[15]), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 1,011.46 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 537.02 करोड़) और पशुपालन उद्देश्यों के लिए विकास निधि (₹ 599.12 करोड़) शामिल थी।

- ***असंचालित आरक्षित निधियाँ***

वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे के अनुसार, चार आरक्षित निधियाँ (₹ 4.23 करोड़) पांच साल से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से, एक निधि[16] (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली, दो निधियाँ[17] (₹ 4.03 करोड़) बिना ब्याज वाली तथा एक निधि[18] बिना शेष की थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2020 को दो ब्याज वाली निधियों (एक संचालितः ₹ 67.27 करोड़ और एक असंचालितः ₹ 0.20 करोड़) के ₹ 67.47 करोड़ शेष पर ₹ 2.70 करोड़[19] के ब्याज भुगतान की आवश्यकता थी। हालांकि, यह देखा गया कि ब्याज जमा नहीं किया गया था। वित्त विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2021) कि चार असंचालित आरक्षित निधियों को बंद कर दिया गया है।

2.5.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को 1 अप्रैल 2010 से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के साथ बदल दिया। वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों का कवरेज राष्ट्रीय (एनडीआरएफ) एवं राज्य (एसडीआरएफ) स्तरों पर पहले से मौजूद आपदा मोचन निधि से आगे जाता है। इसलिए, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आपदा से निपटने के साथ आपदा मोचन के लिए निधि गठित करने की अनुशंसा की, जिसे 1 अप्रेल 2020 से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के नाम से जाना जाता है।

14. इसमें मुख्यतः (अ) ब्याज वाली (i) राज्य आपदा मोचन निधिः ₹ 2,979.44 करोड़, (ii) राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधिः ₹ 1,481.72 करोड़ (iii) ह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्यः ₹ 67.27 करोड़ एवं (ब) बिना ब्याज वाली (iv) गारन्टी मोचन निधिः ₹ 5,454.31 करोड़, (v) जल संरक्षण उपकर निधिः ₹ 234.47 करोड़ (vi) राजस्थान परिवहन आधारभूत अवसंरचना विकास निधिः ₹ 310.14 करोड़ (vii) समर्पित सड़क सुरक्षा निधिः ₹ 298.68 करोड़ (viii) संसाधन विकास निधिः ₹ 180.88 करोड़ तथा (ix) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधिः ₹ 79.25 करोड़ शामिल थे।
15. इसमें एनडीआरएफ के ₹ 853.25 करोड़ शामिल थे।
16. झामर कोटड़ा राक फास्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजनाः ₹ 20.45 लाख।
17. (i) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से सघन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधिः ₹ 0.95 लाख एवं (ii) राज्य सड़क सुधार विकास निधिः ₹ 402.08 लाख।
18. कृषक सुधार निधि।
19. कम से कम अनुमान 4.00 प्रतिशत जो मार्गोपाय अग्रिम पर औसत ब्याज दर को प्रदर्शित करती है।

केंद्रीय अंशदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंशदान को लोक लेखे[20] में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा विलम्ब अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तांतरित किया जाना है।

राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट के लिए लागू दर पर एसडीआरएफ को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज को छमाही आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में हुई वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलामी वाले कोषालय बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज अर्जन वाली अन्य जमाओं में निवेश किया जाना था।

आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त सूचना की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि:

(i) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,975 करोड़ (केन्द्रीय अंशदान ₹ 1,481 करोड़, राज्यांश ₹ 494 करोड़) एसडीआरएफ को हस्तांतरित किया। यह देखा गया कि भारत सरकार ने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त ₹ 740.50 करोड़ की स्वीकृति (07 जनवरी 2021) दी जिसे राज्य सरकार ने अपने अंशदान (₹ 247 करोड़) के साथ 13 दिनों के विलम्ब से हस्तांतरित किया।

(ii) 31 मार्च 2021 तक आपदा राहत कार्यों पर ₹ 2,088.71 करोड़ के व्यय के बाद एसडीआरएफ में ₹ 2979.44 करोड़ (एनडीआरएफ में शेष सहित) का निवल शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार ने एसडीआरएफ की अप्रयुक्त राशि का किसी भी निर्धारित साधन में निवेश नहीं किया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अनिवेशित राशि पर ₹ 55.46 करोड़ के ब्याज का भुगतान तथा वर्ष 2020-21 के दौरान अनिवेशित राशि पर अर्द्ध-वार्षिक (अप्रेल-सितम्बर 2020) ब्याज के रूप में ₹88.21 करोड़ का भुगतान किया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश समिति की बैठक नहीं होने के कारण अव्ययित शेष को किसी भी साधन में निवेश नहीं किया जा सका।

अप्रयुक्त एसडीआरएफ शेष को दिशा-निर्देशों में निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

20. मुख्य शीर्ष-8121, ब्याज वाली आरक्षित निधि।

तालिका 2.33: एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय
1.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा**	102- पेयजल आपूर्ति	9.37
		104- चारे की आपूर्ति	12.01
		800- अन्य व्यय	360.67
		उप-योग	**382.05**
2.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि**	101-आनुग्रहिक राहत	0.07
		106-ख़राब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना	117.58
		107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	**0.13**
		111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान	1.60
		113-घर की मरम्मत/ पुननिर्माण के लिए सहायता	2.45
		114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	471.90
		117-पशु धन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	0.23
		122-ख़राब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	7.39
		282-जन स्वास्थ्य	1,126.41
		उप-योग	**1,727.76**
		महायोग	**2,109.81**
3.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 80-सामान्य**	800-अन्य व्यय (प्राशासनिक व्यय)	7.96
		उप-योग	**7.96**
		योग	**2,117.77**
4.	**05-राज्य आपदा मोचन निधि**	101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण राज्य आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ निधि सहित)	2,828.25
		901-घटावे-राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 2,109.81*

स्रोतः वित्त लेखे

** गत वर्ष से सम्बंधित विभिन्न कोषालयों एवं उप-कोषालयों द्वारा जमा किये गए ₹21.10 करोड़ शामिल है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 2,117.77 करोड़ का व्यय बजट शीर्ष 'प्राकृतिक आपदा के कारण राहत' पर किया गया था, जिसमें से ₹ 2,109.81 करोड़ सरकार ने एसडीआरएफ (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) से समायोजित किये।

2.5.2.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटी और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में 'प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)' संस्थापित की।

निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाता है जो सरकार द्वारा जारी की गई और संस्थानों जिनकी जिम्मेदारी पर गारंटी जारी की गई थी, द्वारा भुगतान नहीं की गई। यह आदेश 01 अप्रैल 2003 से प्रभावी था।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2007 के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जावेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्धन करता है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 5,454.32 करोड़ का शेष है जो कि बकाया प्रत्याभूति (₹ 82,612.45 करोड़) का 6.60 प्रतिशत था।

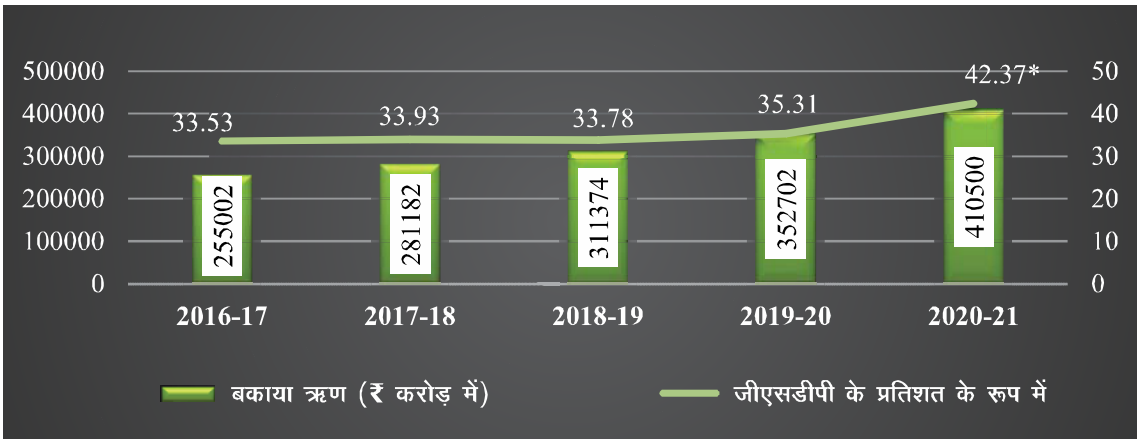
वित्त लेखों के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 को निधि में ₹4,917.30 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 437.34 करोड़ (2019-20 की अवधि से संबंधित ₹ 0.07 करोड़ और 2020-21 की ₹ 437.27 करोड़[21]) की राशि निधि में अन्तरित की गई थी और इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार से ₹ 99.68 करोड़ की राशि प्राप्त हुई । 31 मार्च 2021 को, निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 5,454.32 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹ 1,933.19 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलो में निवेश किये गये थे और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2007 का उल्लंघन कर 31 मार्च 2021 को शेष राशि ₹ 3,521.13 करोड़ निवेशित नहीं थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति की स्थापना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों जो सरकार ने अधिनियम या अन्य किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हैं, को प्राप्त किया जाता है।

21. ₹ 740.81 करोड़ की प्राप्य राशि के समक्ष शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत ₹ 439.64 करोड़ प्राप्त हुई।

चार्ट 2.16: 2016-21 के दौरान बकाया ऋण की स्थिति



* *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण* ***₹4,604*** *करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

राज्य सरकार का कुल ऋण वर्ष 2016-17 में ₹ 2,55,002 करोड़ से 12.64 प्रतिशत सीएजीआर से बढकर वर्ष 2020-21 में ₹ 4,10,500 करोड़[22] हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में 16.39 प्रतिशत बढ़ गया। ये देयतायें वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,308 करोड़) से लगभग तीन गुना तथा राज्य के स्व-संसाधनों (₹ 73,936 करोड़) से लगभग पांच गुना अधिक थी।

2.6.1 ऋण रुपरेखा: घटक

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्राय राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की ***परिशिष्ट-2.3*** में व्याख्या की गई है।

तालिका 2.34 वर्ष 2016-21 की अवधि के लिए घटक-वार कुल ऋण की प्रवृतियों को दर्शाती है ।

तालिका 2.34: घटक वार ऋण की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	**कुल बकाया ऋण**		**2,55,002***	**2,81,182***	**3,11,374***	**3,52,702***	**4,10,500***
2.	**लोक ऋण**	**आतंरिक ऋण**	1,84,285	2,00,244	2,19,312	2,42,077	2,84,789
3.		**भारत सरकार से ऋण**	11,139	12,063	13,927	17,303	23,532
4.	**लोक लेखा दायित्व**		59,578	68,875	78,135	93,322	1,02,179
5.	**कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)**		21.79	10.27	10.74	13.27	16.39
6.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)**		7,60,587	8,28,661	9,21,789	9,98,999	9,57,912

22. प्रभावी बकाया ऋण ₹4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

क्र. सं.		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.	समग्र ऋण/जीएसडीपी(प्रतिशत)	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37[23]
8.	लोक लेखा प्राप्तियों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण प्राप्तियाँ	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012	2,92,254
9.	लोक लेखा संवितरणों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण पुनर्भुगतान	1,56,067	1,60,145	178542	1,97,684	2,34,456
10.	कुल उपलब्ध ऋण	45,616	26,180	30,192	41,328	57,798
11.	उपलब्ध ऋण/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	22.62	14.05	14.46	17.29	19.78

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

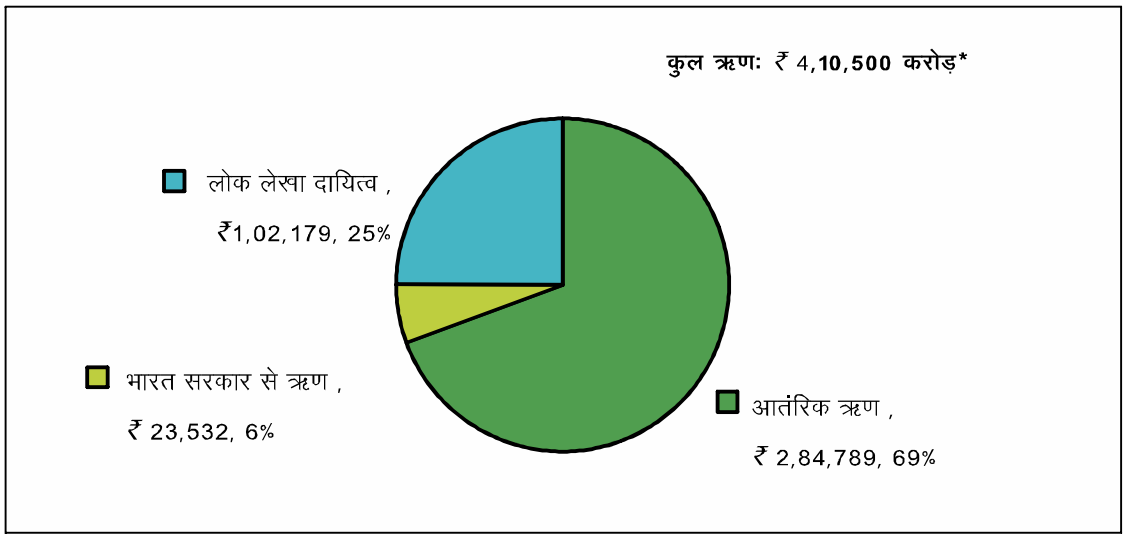
** बकाया उदय ऋणः 2016-17 ₹62,422 करोड़, 2017-18 ₹58,272 करोड़, 2018-19 ₹51,636 करोड़, 2019-20 ₹ 44,730 करोड़ तथा 2020-21 ₹37,825 करोड़ सहित।*

प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में कुल ऋण में ₹ 57,798 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण (₹ 48,941 करोड़) तथा लोक लेखा दायित्व (₹ 8,857 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

कुल ऋण- जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 में 35.31 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2020-21 में 42.37 प्रतिशत[23] हो गया। राज्य एफआरबीएम के अन्तर्गत निर्धारित 38.20 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

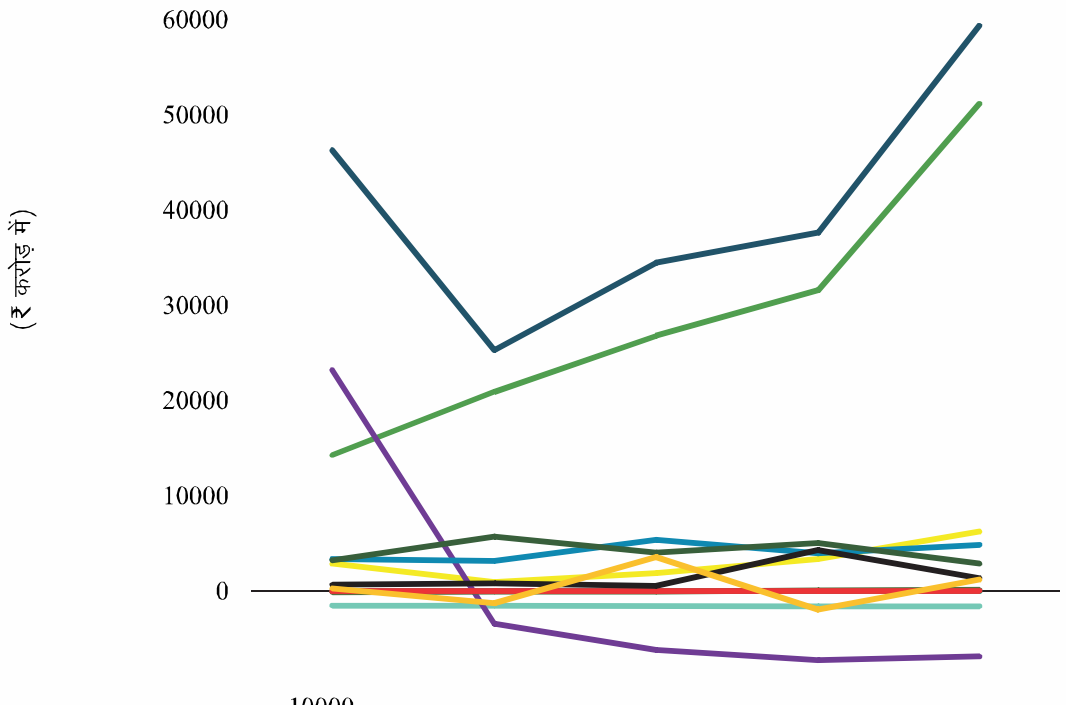
चार्ट 2.17: वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋणों का विभाजन



** प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

23. वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 42.85 प्रतिशत है। यद्यपि, ऋण का जीएसडीपी से प्रभावी अनुपात कुल बकाया ऋण से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।

चार्ट 2.18: घटक वार ऋण की प्रवृतियाँ*

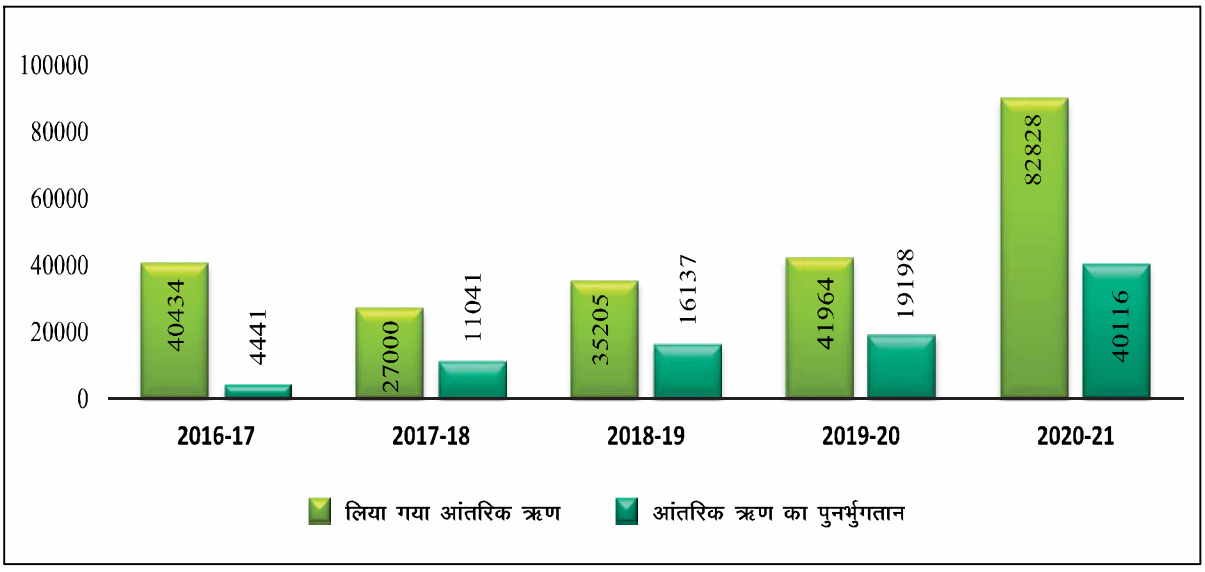


	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बाजार ऋण	14325	20927	26822	31592	51179
भारत सरकार से ऋण	2881	924	1864	3375	6229
राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां	-1536	-1536	-1560	-1585	-1584
मार्गोपाय	0	0	0	0	0
वित्तीय संस्थानों से ऋण	23204	-3432	-6194	-7241	-6882
अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3380	3201	5383	3991	4857
जमा एवं अग्रिम	3242	5703	4056	5025	2871
उचंत एवं विविध	-119	-27	-57	86	116
प्रेषण	-3	10	9	-8	12
आरक्षित निधियां	659	836	567	4330	1361
रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी(+)	285	-1264	3583	-1911	1217
राजकोषीय घाटा	46318	25342	34473	37654	59376

* निवल आंकडें अर्थात वर्ष के दौरान सम्बंधित घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का अन्तर।

चार्ट 2.19: लिया गया आन्तरिक ऋण एवं उसके सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके वित्तपोषण का स्वरूप

तालिका 2.35, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है ।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे के घटक और उनके मद वार वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		2016-17#	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	(अ) राजकोषीय घाटे की संरचना					
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	18,114	18,535	28,900	36,371	44,001
2	निवल पूँजीगत व्यय	16,952	20,607	19,618	14,698	15,257
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	11,252@	(-) 13,800	(-) 14,045	(-) 13,415	118
	योग (अ)	**46,318**	**25,342**	**34,473**	**37,654**	**59,376**
	(ब) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का ढांचा					
1	बाजार से उधार	14,325	20,927	26,822	31,592	51,179
2	भारत सरकार से कर्ज	2,881	924	1,864	3,375	6,229
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-)1,536	(-)1,536	(-) 1,560	(-) 1,585	(-) 1,584
4	मार्गोपाय	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्जे	23,204	(-) 3,432	(-) 6,194	(-) 7,241	(-) 6,882
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,380	3,201	5,383	3,991	4,857
7	जमा तथा अग्रिम	3,242	5,703	4,056	5,025	2,871
8	उचन्त एवं विविध	(-) 119	(-) 27	(-) 57	86	116
9	प्रेषण	(-) 3	10	09	(-) 8	12
10	आरक्षित निधियाँ	659	836	567	4,330	1,361

		2016-17#	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	योग (ब)	**46,033**	**26,606**	**30,890**	**39,565**	**58,159**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (अ-ब)	285	(-) 1,264	3,583	(-) 1,911	1,217
12	समग्र राजकोषीय घाटा (ब+11)	46,318	25,342	34,473	37,654	59,376

स्रोतः वित्त लेखे।

उदय के प्रभाव सहित स्थिति।

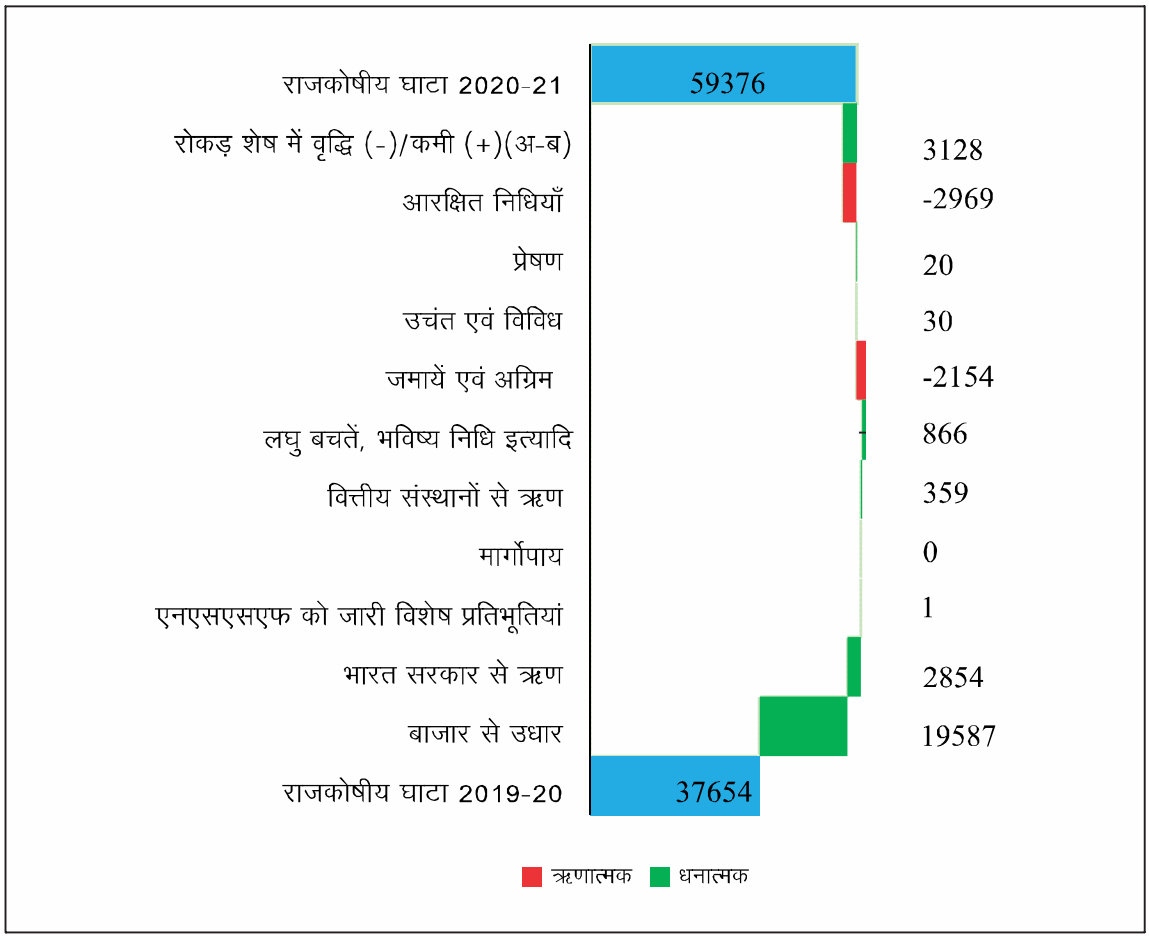
@ वर्ष 2016-17 में दिये गये उदय ऋण (₹ 22,372 करोड़) सहित।

** निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है, वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण- ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां।*

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा राजकोषीय घाटे की संरचना से प्रकट होती है।

बाजार से लिए गए उधारों से निरन्तर राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को वित्तपोषित किया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इनका अंश वर्ष 2019-20 में 84 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 86 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 59,376 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार से उधार (₹ 51,179 करोड़) से की गई।

चार्ट 2.20: वाटर फ्लो चार्ट के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की अभिव्यक्ति



तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से उधार	57,359	6,180	51,179
2	भारत सरकार से ऋण	7,136	907	6,229
3	एनएसएसएफ को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां	-	1,584	(-) 1,584
4	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	23,484	23,484	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्जे	1,986	8,868	(-) 6,882
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	13,705	8,848	4,857
7	जमा और अग्रिम	1,80,656	1,77,785	2,871
8	उचंत और विविध	107	(-) 9	116
9	प्रेषण	7,750	7,738	12
10	आरक्षित निधि	6,227	4,866	1,361
11	**सकल घाटा**	**2,98,410**	**2,40,251**	**58,159**
12	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/ कमी	-	-	1,217
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	-	-	**59,376**

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

31 मार्च 2021 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के संबंध में देय राशि) को **तालिका 2.37** और **चार्ट 2.21** में दर्शाया गया है:

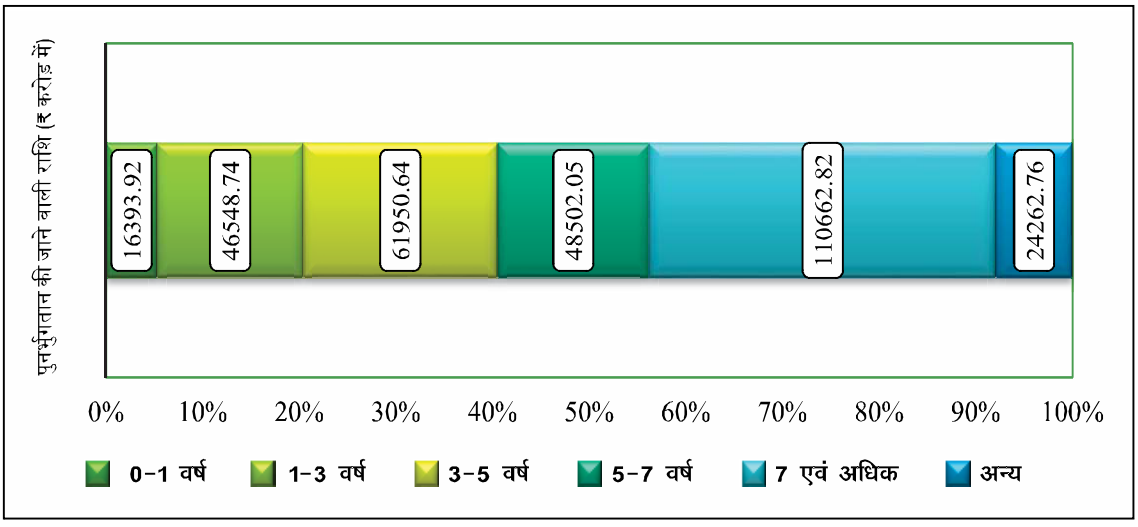
तालिका 2.37: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
1.	0 – 1	16,393.92	5.32
2.	1 – 3	46,548.74	15.10
3.	3 – 5	61,950.64	20.09
4.	5 – 7	48,502.05	15.73
5.	7 एवं अधिक	1,10,662.82	35.89
6.	अन्य [24]	24,262.76	7.87
	योग	**3,08,320.93**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखे ।

24. इस राशि का भुगतान विवरण महालेखाकार (लेखा एवं हक़) द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा है ।

चार्ट 2.21: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2021 को लोक ऋण के बकाया की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 3,08,320.93 करोड़ में से 56.24 प्रतिशत (₹ 1,73,395.35 करोड़) आगामी सात वर्षों में देय है, 35.89 प्रतिशत (₹ 1,10,662.82 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता अनुसूची में है जबकि शेष राशि (₹ 24,262.76 करोड़) की पुनर्भुगतान अवधि उपलब्ध नहीं है।

बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

राज्य सरकार का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होता है। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा राजकोषीय देयताओं की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है ।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध (जुलाई 2021) करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2055-56 तक बकाया बाजार ऋणों और इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची **तालिका 2.38** और **चार्ट 2.22** में नीचे दर्शायी गई है।

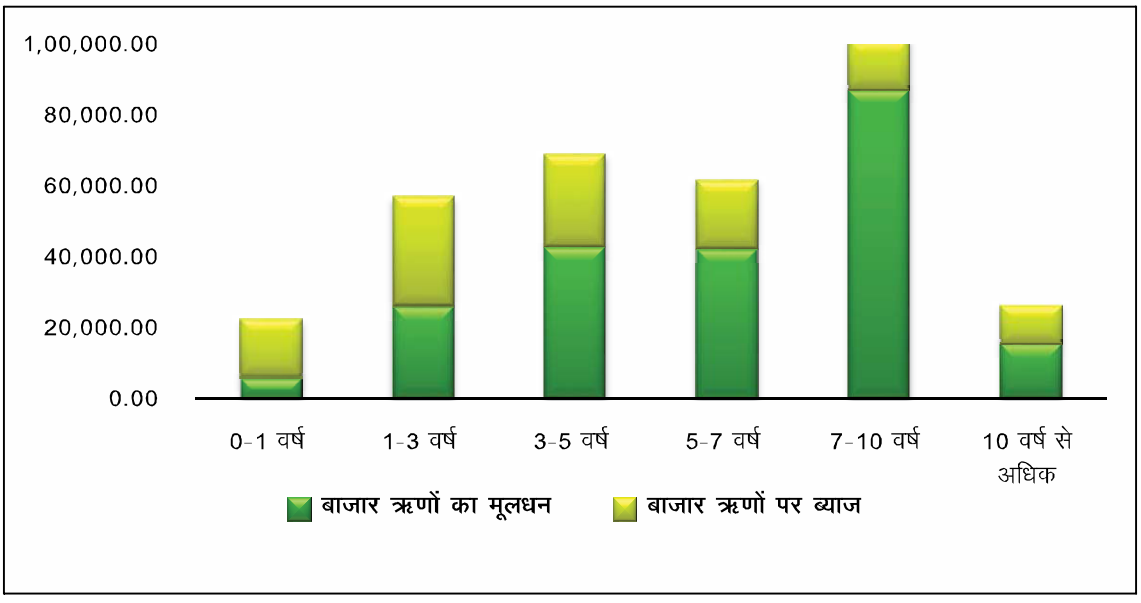
तालिका 2.38: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
1.	0 – 1	6,000.00	16,665.90
2.	1 – 3	26,041.10	31,126.90
3.	3 – 5	42,850.00	26,126.33
4.	5 – 7	42,317.78	19,454.43
5.	7 -10	87,329.04	14,297.26
6.	10 से अधिक	15,500.00	11,220.62
	योग	**2,20,037.92**	**1,18,891.44**

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना ।

चार्ट 2.22: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)



राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात 2023-24 तक ₹ 32,041.10 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान और ₹ 47,792.80 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2025-26 तक मूलधन ₹ 42,850.00 करोड़ और ब्याज ₹ 26,126.33 करोड़ देय होगा। अगले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 2025-26 तक मूलधन और ब्याज का वार्षिक पुनर्भुगतान लगभग ₹ 29,762 करोड़ होगा।

वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि में ₹1,29,646.82 करोड़ का ऋण और ₹ 33,751.69 करोड़ का ब्याज देय होगा। इसी प्रकार, राज्य को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 32,680 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में बढ़ता ऋण-जीएसडीपी अनुपात, बढ़ता प्रतिबद्ध व्यय तथा सतत् राजस्व घाटा राज्य सरकार को ऋण के जाल में फंसने से बचने के लिए एक सुविचारित ऋण अदायगी की रणनीति पर काम करने को बाध्य करते हैं।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण धारणीयता

ऋण को धारणीय माना जाता है यदि उधारकर्ता, इस मामले में राज्य, अपने ऋण को वर्तमान और भविष्य में अदा करने का सामर्थ्य रखता हो। ऋण धारणीयता संकेतकों के अनुसार, उधारकर्ताओं की ऋण साख्य और तरलता की स्थिति का आंकलन उनकी ऋण चुकाने की क्षमता और राजस्व के चालू और नियमित स्रोतों की जांच करके किया जाता है।

यह भाग ऋण-जीएसडीपी अनुपात, ब्याज भुगतान के भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के अनुपात से मापा जाता है) तथा राज्य सरकार के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा के सन्दर्भ में राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का आकलन करता है।

वर्ष 2016-17 से पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण प्रासंगिक सूचकों के अनुसार **तालिका 2.39** में किया गया है।

तालिका 2.39: ऋण धारणीयता सूचकों की प्रवृतियाँ

क्र. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कुल ऋण (₹ करोड़ में)	2,55,102	2,81,182	3,11,374	3,52,702	4,10,500[$]
2.	बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	1,95,424	2,12,307	2,33,239	2,59,380	3,08,321[$]
3.	बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.83	8.64	9.86	11.21	18.87
4.	जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	7,60,587	8,28,661	9,21,789[25]	9,98,999[26]	9,57,912[27]
5.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.61	8.95	11.24	8.38	(-) 4.11
6.	लोक ऋण/जीएसडीपी	0.26	0.26	0.25	0.26	0.32[28]
7.	कुल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37[28]
8.	राज्य ऋण के पुनर्भुगतान का ऋण परिपक्वता विवरण-पूर्व की चूक सहित, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)	4,386	11,000	16,096	17,702	16,556
9.	लोक ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	43,889	28,557	37,847	46,173	89,964
10.	लोक ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	5,015	11,674	16,915	20,032	41,023
11.	बकाया लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	14,439	16,214	17,804	19,236	20,720
12.	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.20	7.95	7.99	7.81	7.30
13.	ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	13.24	12.74	12.91	13.73	15.43
14.	लोक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्ति से प्रतिशत	11.43	40.88	44.69	43.38	45.60
15.	राज्य के पास उपलब्ध निवल लोक ऋण[#] (₹ करोड़ में)	24,435	669	3,128	6,905	28,221
16.	लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण उपलब्धता	55.67	2.34	8.26	14.95	31.37

स्रोत: वित्त लेखे

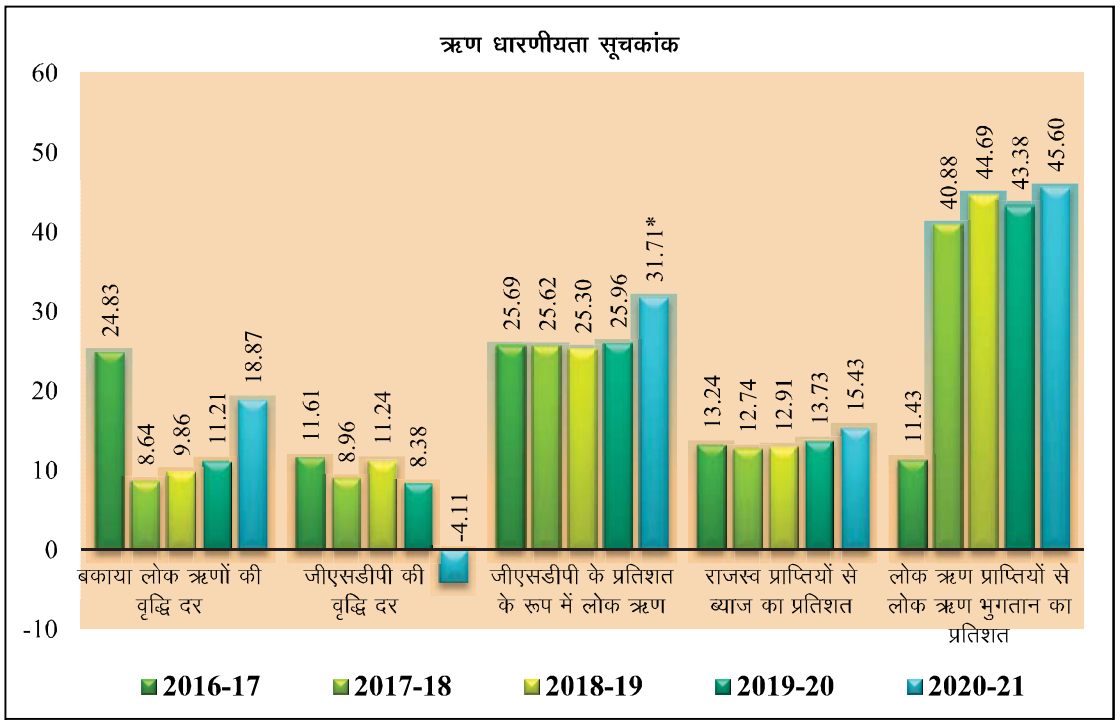
[$] प्रभावी ऋण ₹ 4,05,896 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

**बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आतंरिक ऋण एवं 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेषों का योग है।*

[#] राज्य सरकार के पास उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर अदा किये गये ब्याज के बाद लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

25. संशोधित अनुमान -II
26. संशोधित अनुमान -I
27. अग्रिम अनुमान
28. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता सूचकों की प्रवृतियाँ



** कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

तालिका 2.39 में दर्शाये अनुसार विभिन्न ऋण धारणीयता संकेतकों के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- ऋण- जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 के 35.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 42.37 प्रतिशत[29] हो गया।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का भार वर्ष 2019-20 के 13.73 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 15.43 प्रतिशत हो गया।
- लोक ऋण अदायगी से लोक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता वर्ष 2019-20 में 43.38 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़कर 45.60 प्रतिशत हो गयी।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को लोक ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज अदायगी) के लोक ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये पुराने ऋण के मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं मूलधन अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात् वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2016-17 में ₹ 24,435 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 28,221 करोड़ हो गया। यद्यपि, लोक

29. वित्त लेखों के अनुसार ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 42.85 प्रतिशत है। तथापि, ऋण का जीएसडीपी से प्रभावी अनुपात कुल बकाया ऋण से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है।

ऋण प्राप्तिओं के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण वर्ष 2016-17 में 55.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 31.37 प्रतिशत रह गया, जिसका अर्थ है कि ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा भाग पुराने लोक ऋण के मोचन के लिए उपयोग किया जा रहा है, परिणामस्वरूप ऋण की स्थिति बिगड़ी है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।

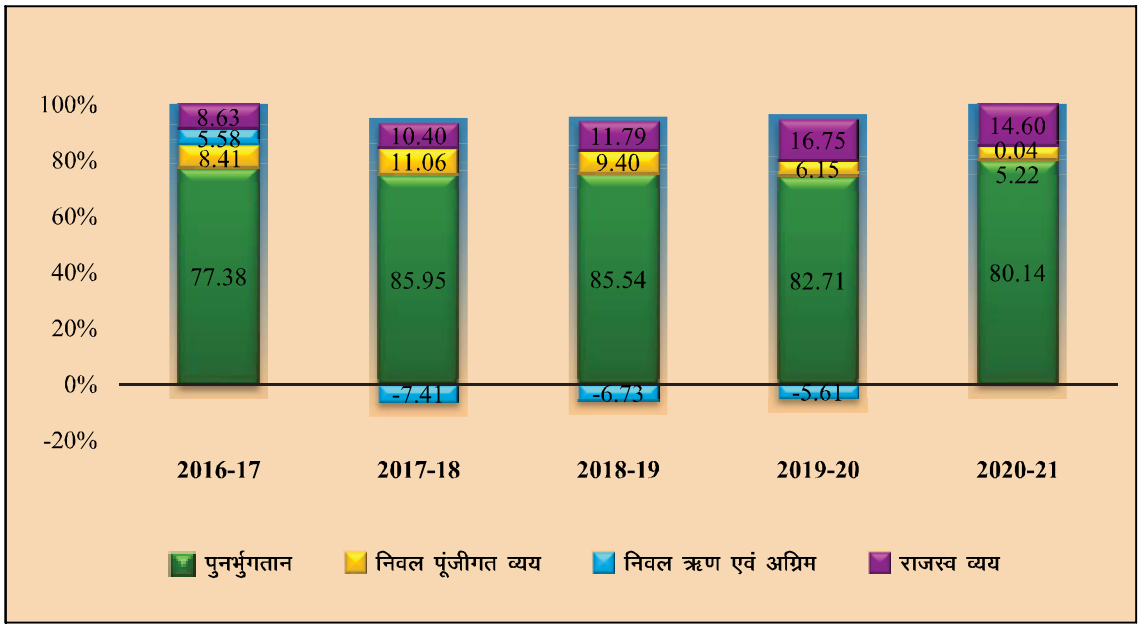
तालिका 2.40: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार	1	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012	2,92,554
2.	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशत)	2	1,56,067 (77.38)	1,60,144 (85.95)	1,78,542 (85.54)	1,97,684 (82.71)	2,34,456 (80.14)
3.	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत)	3	16,952 (8.41)	20,607 (11.06)	19,618 (9.40)	14,698 (6.15)	15,257 (5.22)
4.	निवल ऋण और अग्रिम	4	11,252	(-)13,800	(-) 14,045	(-) 13,415	118
5.	निवल उपलब्ध उधारों से राजस्व व्यय के अंश की पूर्ति (प्रतिशत)	5=1-2-3-4	17,412 (8.63)	19,374 (10.40)	24,619 (11.79)	40,045 (16.75)	42,723 (14.60)

स्रोतः वित्त लेखे।

चार्ट 2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृतियाँ



वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 42,723 करोड़ के उधार का उपयोग किया गया । कुल ऋण से ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2016-17 में 77.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष

2020-21 में 80.1 प्रतिशत हो गया। हालांकि, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में इसमें 2.6 प्रतिशतता बिन्दुओं की कमी हुई है।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा डिफॉल्ट के प्रकरण में देय है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ, उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वित्त लेखे 2020-21 के विवरण 9 के अनुसार, गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूति की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ **तालिका 2.41** में दी गई है।

तालिका 2.41: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रत्याभूतियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676	1,56,822
2.	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	51,119	61,761	70,430	80,631	82,612
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का प्रतिशत	108.38	88.02	95.03	103.26	116.76
4.	समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	1,67,405	1,77,390	2,08,306	2,24,905	2,19,467
5.	अनुमानित प्राप्तियों के संबंध में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	30.54	34.82	33.81	35.85	37.64

स्रोत : वित्त लेखे और बजट दस्तावेज ।

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2019-20 में ₹ 80,631 करोड़ से 2.46 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 82,612 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,308 करोड़) का 61.51 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 69,556 करोड़), शहरी विकास और आवास क्षेत्र (₹ 4,408 करोड़), एक सड़क परिवहन निगम (₹ 2,945 करोड़) और छः सहकारी संस्थाओं (₹ 2,791 करोड़) से सम्बंधित थी। विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ, कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान हेतु बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने एवं निर्दिष्ट दरों पर ब्याज चुकाने के लिए दी गई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (37.64 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर था।

2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, 01-03-1999 से राज्य सरकार को समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना होगा। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को ठीक किया जाता है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के प्रयोजन के लिए आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष या जमा शेष से कम प्राप्त होता है और उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए 01.04.2020 से मार्गोपाय अग्रिम की सामान्य सीमा ₹ 2,119 करोड़ थी। यह 17.04.2020 से ₹ 2,608 करोड़ तक बढ़ाई गई एवं 31 मार्च 2021 तक यही रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 को ₹ 1,752.87 करोड़ और 31 मार्च 2021 को ₹ 1,977.34 करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई में न्यूनतम नकद शेष राशि का किस सीमा तक संधारण किया यह नीचे बताया गया है:

(i) ***विशेष मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2020 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 31 बार 99 दिनों के लिए ₹ 16,071.08 करोड़ विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 11.03 करोड़ ब्याज चुकाया। वर्ष 2020-21 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) ***साधारण मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2020 को साधारण मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 19 बार 34 दिनों के लिए ₹ 7,412.49 करोड़ साधारण मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 2.82 करोड़ ब्याज चुकाया। इन 34 दिनों में राज्य सरकार ने विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी लिया। वर्ष 2020-21 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) ***रोकड़ शेष:*** 31 मार्च 2021 को राज्य का सामान्य रोकड़ शेष, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 4,440.13 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 2,103.74 करोड़) और अन्य रोकड़ शेष (₹ 3.61 करोड़) के अलावा, ₹ (-) 59.97 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

अ. **कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101)** = ₹ 0.05 करोड़

ब. **आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102)** = ₹ 20.99 करोड़

स. **स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण (मुख्य शीर्ष 8999-104)** = ₹ (-) 81.01 करोड़

'आरबीआई के पास जमा' मार्च 2021 के लेखों के बंद होने के बाद 31 मार्च 2021 को रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के संबंध में मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे (₹ 20.99 करोड़ (नामे)) के आंकड़ों और आरबीआई द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों (₹ 18.92 करोड़ (जमा)) के बीच ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का अंतर था। इसमें से राशि ₹ 1.96 करोड़ (जमा) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। ₹ 0.11 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी शेष है और इसके मिलान की आवश्यकता है।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं .		1 अप्रेल 2020 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
	अ. सामान्य रोकड़ शेष		
1.	कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05
2.	रिजर्व बैंक के पास जमा	49.03	20.99
3.	मार्गस्थ प्रेषण- स्थानीय	(-) 26.96	(-) 81.01
	योग	**22.12**	**(-) 59.97**
4.	रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	**5,807.73**	**4,440.13**
	योग (अ)	**5,829.85**	**4,380.16**
	ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
5.	विभागीय अधिकारियों अर्थात सार्वजनिक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.85	0.77
6.	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	2.84	2.84
7.	चिन्हित निधियों में निवेश	1,870.87	2,103.74
	योग (ब)	**1,874.56**	**2,107.35**
	योग (अ +ब)	**7,704.41**	**6,487.51**
	प्राप्त ब्याज	**77.12**	**23.38**

स्रोत : वित्त लेखे।

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

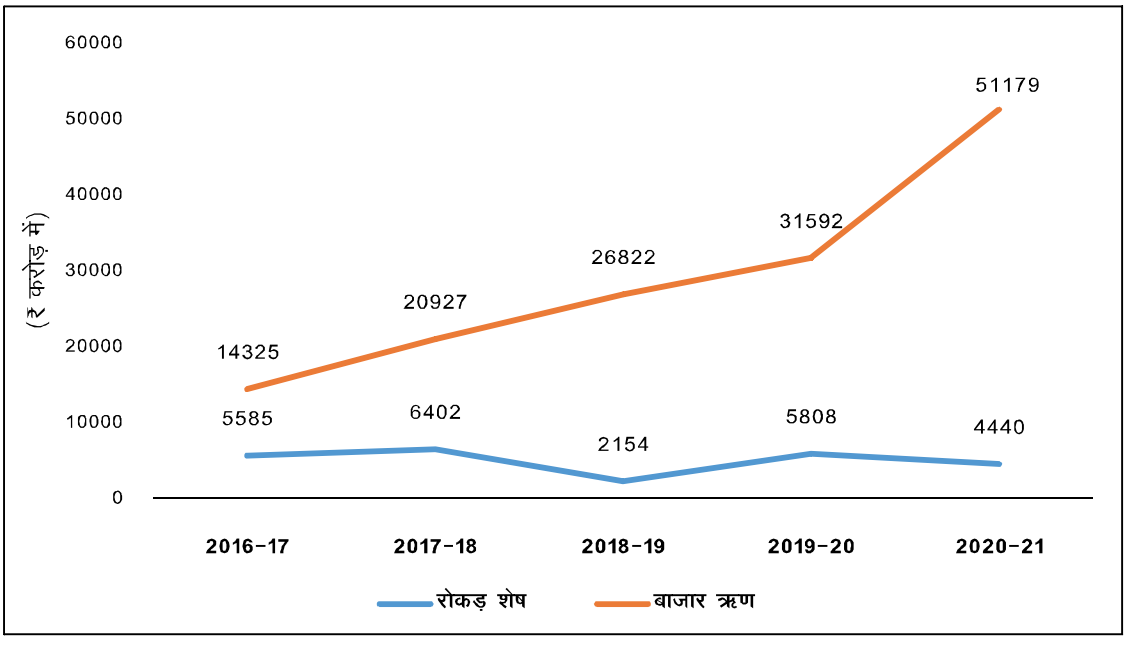
क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी (-)	अर्जित ब्याज
1.	2016-17	5,915.95	5,585.10	(-) 330.85	460.86
2.	2017-18	5,585.10	6,401.72	816.62	365.84
3.	2018-19	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26	281.20
4.	2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12
5.	2020-21	5,807.73	4,440.13	(-) 1,367.60	23.38

स्रोत : वित्त लेखे।

राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते है और आंशिक रूप से 91, 181 और 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले

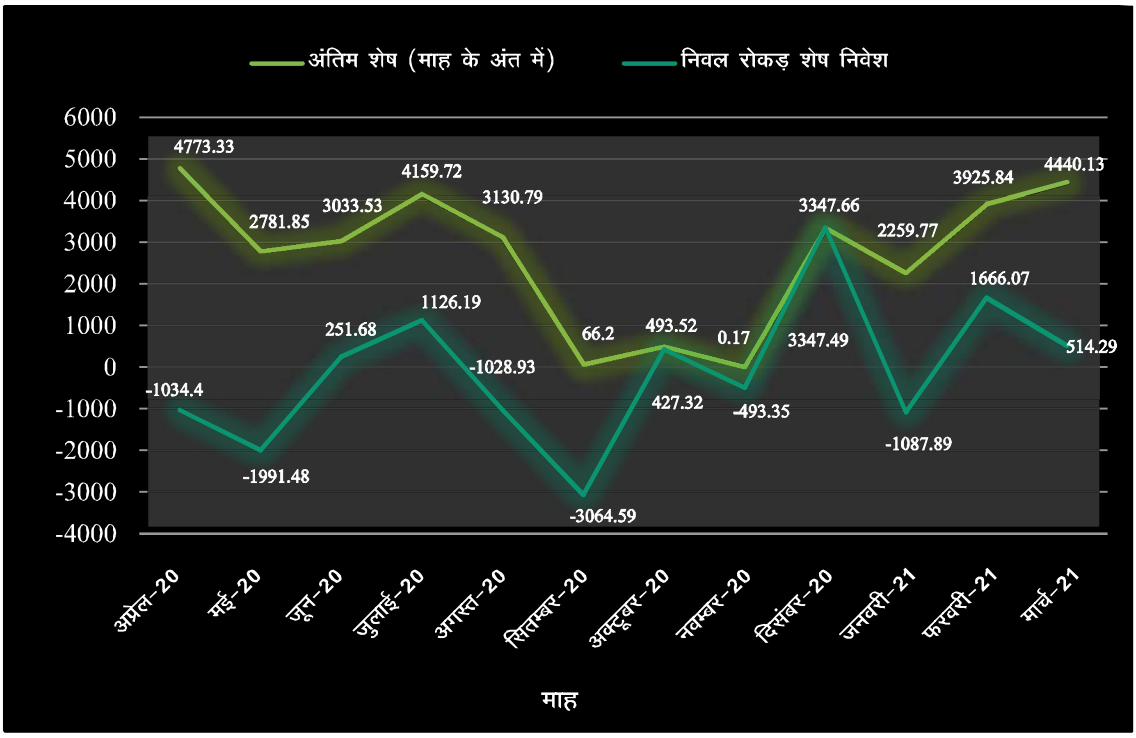
कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते है। वर्ष 2020-21 के अंत तक ₹ 4,440.13 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 23.38 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसके अलावा, ₹ 2,103.74 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.25: बाजार ऋण के साथ-साथ रोकड़ शेष



चार्ट 2.26: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष और निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार संचलन

(₹ करोड़ में)



2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के आंकलन के लिए प्रमुख मानदंड हैं।

प्रमुख मानदंड

सकारात्मक संकेतक	ध्यान में रखे जाने योग्य मानदंड
कम होता अर्थ-सहाय्य व्यय	जीएसडीपी से कुल ऋण के अनुपात में वृद्धि
	राजस्व/राजकोषीय/प्राथमिक घाटे में वृद्धि
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
	कंपनियों में निवेश जिनकी निवल पूंजी पूरी तरह क्षय हो गई है

राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए उपरोक्त दर्शाए गए विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले संकेतकों पर राज्य सरकार द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता है।